

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4

PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 16]

नई दिल्ली, शुक्रवार, जनवरी 10, 2014/पौष 20, 1935

No. 16]

NEW DELHI, FRIDAY, JANUARY 10, 2014/PAUSHA 20, 1935

भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड

अधिसूचना

मुम्बई, 10 जनवरी, 2014

**भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (तलाशी और अभिग्रहण के लिए प्रक्रिया) विनियम,
2014**

सं. एल.ए.डी.-एन.आर.ओ./जी.एन./2013-14/40/52.—भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड, भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड अधिनियम, 1992 (1992 का 15) की धारा 11ग की उप-धारा (9) और धारा 30 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए एतद्वारा निम्नलिखित विनियम बनाता है, अर्थात्:-

अध्याय I

प्रारंभिक

संक्षिप्त नाम और प्रारंभ:

1.(1) इन विनियमों को भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (तलाशी और अभिग्रहण के लिए प्रक्रिया) विनियम, 2014 कहा जा सकेगा।

(2) ये विनियम राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

परिभाषाएँ :

2. (1) इन विनियमों में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो, इसमें परिभाषित शब्दों के वही अर्थ होंगे जो नीचे उनके लिये नियत हैं, और उनके सजातीय पदों का अर्थ तदनुसार लगाया जाएगा,-

(क) "अधिनियम" से भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड अधिनियम, 1992 (1992 का 15) अभिप्रेत है;

(ख) "प्राधिकृत अधिकारी" से अधिनियम की धारा 11ग की उप-धारा (8) के अधीन अध्यक्ष द्वारा प्राधिकृत अन्वेषक प्राधिकारी या बोर्ड का कोई अन्य अधिकारी अभिप्रेत है;

(ग) "भवन" में कोई संरचना या किसी भूमि पर, में या के अंदर निर्मित, परिनिर्मित, स्थापित या बनायी गयी कोई अन्य चीज या उससे लगी भूमि सम्मिलित है ;

(घ) "दिन का समय" से उस स्थान पर पूर्वाह्न 7.00 बजे से अपराह्न 6.00 बजे के बीच का समय अभिप्रेत है, जहाँ तलाशी और अभिग्रहण किया जाता है ;

(ङ) "दस्तावेज" से कोई अभिलेख (रिकॉर्ड) या जानकारी अभिप्रेत है, जो निम्नलिखित रूप में परिरक्षित हो, -

(i) किसी हस्तनिर्मित रूप में, जैसे किसी सतह पर किसी उपकरण से, प्रत्यक्षतः या अप्रत्यक्षतः लिखित रूप में, रेखाचित्र (ड्राइंग) रूप में, रंगचित्र रूप में;

(ii) किसी फोटोग्राफिक रूप में, जैसे माइक्रोफिल्म रूप में, माइक्रोफिश रूप में, प्रिंट रूप में, स्लाइड रूप में, नेगेटिव रूप में, वीडियोटेप रूप में, मोशन पिक्चर रूप में, फोटोकॉपी रूप में या डिजिटल स्टोरेज रूप में;

(iii) किसी यांत्रिक रूप में, जैसे लिखित रूप में, प्रेसिंग रूप में, प्रिंटिंग रूप में या टाइपिंग रूप में;

(iv) किसी कंप्यूटरीकृत रूप में, इलेक्ट्रीकल रूप में, इलेक्ट्रॉनिक रूप में, या मैग्नेटिक रूप में जैसे टेप रिकार्डिंग रूप में, कैसट रूप में, कॉम्पेक्ट डिस्क रूप में अथवा इलेक्ट्रॉनिक या मैग्नेटिक स्टोरेज डिवाइस, जैसे हार्ड डिस्क, पोर्टेबल मेमरी कार्ड, स्टिक या डिस्कट, या स्मार्ट कार्ड, बैकअप टेप, पर्सनल डिजिटल डिवाइस, सीडी या डीवीडी डिस्क, ऑप्टिकल डिस्क, प्रिंटर बफर, ज़िप ड्राइव, पेन ड्राइव, थम्प ड्राइव या इलेक्ट्रॉनिक नोटबुक में रखी कोई जानकारी, और साथ ही किसी मैग्नेटिक स्टोरेज डिवाइस से लिये गये प्रिंटआउट या रीडआउट, जिनके अंतर्गत उन फाइलों में परिरक्षित कोई जानकारी सम्मिलित है जो इलेक्ट्रॉनिक, मैग्नेटिक, ऑप्टिकल स्टोरेज डिवाइसों या सुविधाओं से "डिलीट" कर दी गयी हों ("हटा" दी गयी हों), और जिसके अंतर्गत ऐसा कुछ सम्मिलित है जिसमें ऐसी जानकारी पायी जाती है या पुनःप्राप्त की जा सकती है ;

(च) "उद्यम" का वही अर्थ होगा जो आय-कर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 92च के खण्ड (iii) में इसके लिए नियत है ;

(छ) "व्यक्तिगत जानकारी" से ऐसी कोई जानकारी अभिप्रेत है जो उस प्रकृत व्यक्ति से संबंधित हो, जिसकी पहचान ऐसी जानकारी से प्रकट होती हो या युक्तियुक्त रूप से अभिनिश्चित की जा सकती हो ;

(ज) "अनुसूची" से इन विनियमों से संलग्न अनुसूची अभिप्रेत है ;

(झ) "प्रतिभूति विधियाँ" से अधिनियम, प्रतिभूति संविदा (विनियमन) अधिनियम, 1956 (1956 का 42), निक्षेपागार अधिनियम, 1996 (1996 का 22), प्रवृत्त कंपनी अधिनियम, 1956 तथा कंपनी अधिनियम, 2013 के उपबंध जो भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड द्वारा प्रशासित हैं, और उनके अधीन बनाये गये नियम तथा विनियम अभिप्रेत हैं;

(ञ) "प्राधिकार का वारंट" से अध्यक्ष द्वारा लिखित रूप में प्राधिकार अभिप्रेत है ।

(2) जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो, इनमें उपयोग किये गये तथा अपरिभाषित किन्तु अधिनियम या प्रवृत्त कंपनी अधिनियम, 1956 (1956 का 1) तथा कंपनी अधिनियम, 2013 या प्रतिभूति संविदा (विनियमन) अधिनियम, 1956 (1956 का 42) या निक्षेपागार अधिनियम, 1996 (1996 का 22) या सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 (2000 का 21) अथवा उनके अधीन बनाये गये किन्हीं नियमों या विनियमों में परिभाषित शब्दों और पदों के वही अर्थ होंगे जो, यथास्थिति, उन अधिनियमों, उनके अधीन बनाये गये नियमों या विनियमों अथवा उनके किसी कानूनी उपांतर या पुनःअधिनियमित में क्रमशः उनके लिए नियत हैं ।

अध्याय II

प्राधिकार का वारंट

प्राधिकार के वारंट के लिए अनुरोध :

3. अन्वेषक प्राधिकारी, जिसके पास यह विश्वास करने का कारण हो कि अधिनियम की धारा 11ग की उप-धारा (8) के अधीन विनिर्दिष्ट आधारों में से कोई आधार या सभी आधार विद्यमान हैं, अनेक निष्पादन, यदि अपेक्षित हों, किये जाने के ऐसे आधारों, कारणों को और उद्यम, भवन, स्थान, जलयान, यान या वायुयान जिसकी तलाशी को प्राधिकृत किया जाना अपेक्षित है के ब्यौरों को विनिर्दिष्ट करते हुए, प्ररूप क के अनुसार कागज़ी या इलेक्ट्रॉनिक रूप में, अध्यक्ष को प्राधिकार का वारंट जारी करने के लिए अनुरोध कर सकेगा ।

प्राधिकार का वारंट :

4. (1) विनियम 3 के अधीन अनुरोध की प्राप्ति पर, अध्यक्ष, यह समाधान हो जाने के पश्चात् कि ऐसा करना आवश्यक है, अन्वेषक प्राधिकारी या बोर्ड के किसी अन्य अधिकारी को प्ररूप-ख के अनुसार प्राधिकार का वारंट जारी करके प्राधिकृत अधिकारी के रूप में प्राधिकृत कर सकेगा ।

(2) अध्यक्ष प्राधिकार के वारंट के अनेक निष्पादन उस अवधि के दौरान प्राधिकृत कर सकेगा जिसमें यह प्रवृत्त है ।

प्राधिकार के वारंट हेतु अपेक्षाएँ :

5. (1) प्राधिकार का वारंट अध्यक्ष द्वारा हस्ताक्षरित और मुद्रांकित किया जायेगा ।

(2) अध्यक्ष द्वारा जारी किया गया प्राधिकार का प्रत्येक वारंट तब तक प्रवृत्त रहेगा जब तक कि यह अध्यक्ष द्वारा रद्द न कर दिया जाये या जब तक कि इसका निष्पादन न हो जाये, या प्राधिकार के वारंट में निष्पादन के लिए विनिर्दिष्ट समय-सीमा की समाप्ति तक, जो भी पहले हो।

(3) बोर्ड के एक से अधिक अधिकारियों को जारी किये गये प्राधिकार के वारंट का निष्पादन उन सबके द्वारा, या उनमें से किसी एक या अधिक के द्वारा किया जा सकेगा ।

(4) बोर्ड के किसी अधिकारी को जारी किया गया प्राधिकार का वारंट ऐसे अधिकारी के स्थानान्तरण के आदेश की तारीख को समाप्त हो जायेगा ।

प्राधिकार का वारंट वापस करना :

6. इन विनियमों के अधीन जारी प्राधिकार का वारंट अध्यक्ष को वापस कर दिया जायेगा,-

(क) पूर्णतः निष्पादित कर दिये जाने के पश्चात् अभिग्रहण ज्ञापन के साथ, या

(ख) यदि निष्पादित न हुआ हो, चाहे अंशतः या नहीं, इसके निष्पादन के लिये प्राधिकृत समय, यदि कोई हो, के भीतर, ऐसे समय की समाप्ति पर,

और प्राधिकृत अधिकारी प्राधिकार के वारंट पर उन शक्तियों के विषय में कथन करते हुए पृष्ठांकन करेगा जिनका प्रयोग उसके द्वारा ऐसे प्राधिकार के अधीन किया गया है ।

अध्याय III

तलाशी और अभिग्रहण संबंधी प्रक्रिया

साक्षी

7. इस अध्याय के अधीन तलाशी करने से पूर्व, प्राधिकृत अधिकारी, जिस परिक्षेत्र में वह स्थान स्थित है जिसकी तलाशी ली जानी है, उस परिक्षेत्र के दो या अधिक स्वतंत्र तथा प्रतिष्ठित निवासियों को या किसी अन्य परिक्षेत्र के दो या अधिक स्वतंत्र तथा प्रतिष्ठित निवासियों को, यदि उक्त परिक्षेत्र का कोई भी ऐसा निवासी उपलब्ध न हो या तलाशी का साक्षी बनने का इच्छुक न हो, तलाशी में हाजिर होने के लिए तथा साक्ष्य देने के लिए बुलायेगा और उनको या उनमें से किसी को ऐसा करने के लिए लिखित रूप में आदेश जारी कर सकेगा :

परंतु यह कि प्राधिकृत अधिकारी, उसके द्वारा साक्षी को ढूँढ़ने के लिए उचित कदम उठाये जाने पर, यह पाता है कि कोई भी साक्षी उपलब्ध नहीं है या साक्षी के रूप में खड़ा होने का इच्छुक नहीं है और उसे अभिलिखित करने पर, प्राधिकार के वारंट को निष्पादित करते समय विडियोग्राफी करायेगा, तथा तलाशी और अभिग्रहण केवल इस आधार पर अविधिमान्य नहीं होगा कि कोई भी व्यक्ति तलाशी के साक्षी के रूप में खड़ा नहीं था :

परंतु यह और कि तलाशी का साक्ष्य देने वाले किसी भी व्यक्ति को प्रतिभूति विधियों के अधीन किन्हीं न्यायिककल्प कार्यवाहियों में साक्षी बनने के लिए विवश नहीं किया जायेगा, सिवाय इसके कि जब भी बोर्ड द्वारा समन किया जाये ।

स्थानों और भवनों की तलाशी :

8. (1) यदि किसी भवन या स्थान में प्रवेश इस प्रकार प्राप्त न हो सकता हो अथवा भवन या स्थान में कोई भी व्यक्ति उपस्थित न हो, तो प्राधिकार के वारंट का निष्पादन करने वाले प्राधिकृत अधिकारी के लिए तब यह विधिपूर्ण होगा कि वह ऐसे भवन या स्थान में प्रवेश करे और उसमें तलाशी ले तथा ऐसे भवन या स्थान में प्रवेश करने के लिए, किसी भवन या स्थान, चाहे वह तलाशी लिये जाने वाले व्यक्ति का हो या किसी अन्य व्यक्ति का, के किसी बाहरी या अन्दर के दरवाजे या खिड़की को तोड़कर खोल सकता है, यदि उसके प्राधिकार तथा प्रयोजन की सूचना सम्यक् रूप से दी गई हो तथा प्रवेश की सम्यक् रूप से मांग की गयी हो, अन्यथा वह प्रवेश प्राप्त नहीं कर सकता :

परंतु यह कि, यदि कोई ऐसा भवन या स्थान एक ऐसा अपार्टमेंट है जो उस स्त्री के वास्तविक अधिभोग में है, जो रुढ़ियों के अनुसार लोगों के सामने नहीं आती, तो प्राधिकृत अधिकारी, ऐसे अपार्टमेंट में प्रवेश करने से पूर्व, ऐसी स्त्री को सूचना देगा कि वह हट जाने के लिए स्वतंत्र है और वह उसे हट जाने के लिए प्रत्येक युक्तियुक्त सुविधा उपलब्ध कराएगा और तब अपार्टमेंट के किसी बाहरी या अन्दर के दरवाजे या खिड़की को तोड़कर खोल सकेगा और प्रवेश कर सकेगा ।

(2) प्राधिकृत अधिकारी किसी ऐसे व्यक्ति से, जो ऐसे भवन, स्थान में स्थित किसी बक्से, लॉकर, सेफ, अलमारी या किसी अन्य रिसेप्टेकल (आधान) का स्वामी है, या जिसके पास उनका सीधा कब्जा, या नियंत्रण है, यह अपेक्षा कर सकेगा कि वह उन्हें खोले और उनकी विषय-वस्तु का निरीक्षण या जांच-पड़ताल करने के लिए उन तक पहुँच की अनुज्ञा दे, और, जहां उनकी कुंजियाँ(चाबियाँ) उपलब्ध न हों या जहां ऐसा व्यक्ति किसी ऐसी अपेक्षा का अनुपालन करने में असफल रहता है, तो वहां वह कोई भी कार्रवाई करा सकेगा जिसमें ऐसे बक्से, लॉकर, सेफ, अलमारी या अन्य आधान को तोड़कर खोलना भी सम्मिलित है, जिसे प्राधिकृत अधिकारी प्राधिकार के वारंट के अधीन विनिर्दिष्ट सभी प्रयोजनों या किसी प्रयोजन का पालन करने के लिए आवश्यक समझे ।

(3) प्राधिकृत अधिकारी किसी ऐसे व्यक्ति से, जो ऐसे भवन या स्थान का स्वामी है, या जिसके पास उनका सीधा कब्जा, या नियंत्रण है, यह अपेक्षा कर सकेगा कि वह, तलाशी प्रारंभ होने तक, ऐसे भवन या स्थान से, कोई भी वस्तु या अन्य चीज न हटाये ।

(4) प्राधिकृत अधिकारी प्राधिकार के वारंट में विनिर्दिष्ट सभी प्रयोजनों या उनमें से किसी प्रयोजन हेतु अपनी सहायता के लिए किसी पुलिस अधिकारी या केन्द्रीय सरकार, या राज्य सरकार के किसी अधिकारी या उन सभी की सेवाएँ अध्यपेक्षित कर सकेगा ।

(5) प्राधिकृत अधिकारी, ऐसी सहायता से, जैसी अपेक्षा की जाये, किसी भवन या स्थान, जिसे तलाशी लिए जाने के लिए प्राधिकृत किया गया हो, की तलाशी ले सकेगा, जहाँ यह प्रत्याशा या विश्वास हो कि वहाँ ऐसी सूचना या दस्तावेज रखे हैं ।

जलयान, यान या वायुयान की तलाशी :

9.(1) प्राधिकृत अधिकारी को, जलयान, यान या वायुयान, जिसे तलाशी लिए जाने के लिए प्राधिकृत किया गया हो, के प्रभारी किसी व्यक्ति को प्राधिकार का वारंट प्रस्तुत किये जाने पर, प्राधिकार के वारंट के निष्पादन के प्रयोजनार्थ जलयान, यान या वायुयान में अबाध प्रवेश होगा।

(2) यदि तलाशी लिए जाने के लिए प्राधिकृत किसी जलयान, यान या वायुयान में प्रवेश इस कारण से कि ऐसा जलयान, यान या वायुयान चल रहा है या किसी अन्य कारणवश नहीं पाया जा सकता है, तो प्राधिकार के वारंट का निष्पादन करने वाले प्राधिकृत अधिकारी के लिए यह विधिपूर्ण होगा कि वह उस व्यक्ति से, जो तत्समय यान, जलयान या वायुयान का नियंत्रण रखता हो, यह अपेक्षा करे कि वह किसी ऐसे जलयान या यान को रोके, या वायुयान के मामले में, उसे रोके या उतरने के लिए विवश करे, और रुक जाने पर इसे चलने से रोकने, या यदि जलयान, यान या वायुयान पहले से ही रुका हुआ हो, तो इसे चलने से रोकने, और जलयान, यान या वायुयान के किसी भाग की तलाशी लेने की अपेक्षा करे।

(3) प्राधिकृत अधिकारी को, ऐसे जलयान, यान या वायुयान में प्रवेश करने के लिए, किसी ऐसे जलयान, यान या वायुयान के किसी बाहरी या अन्दर के दरवाजे या खिड़की को तोड़कर खोलने का प्राधिकार होगा, यदि उसके प्राधिकार तथा प्रयोजन की सूचना सम्यक् रूप से दी गई हो तथा प्रवेश की सम्यक् रूप से मांग की गयी हो, अन्यथा वह प्रवेश प्राप्त नहीं कर सकता :

परंतु यह कि यदि कोई ऐसा जलयान, यान या वायुयान उस स्त्री के अधिभोग में है, जो रुढ़ियों के अनुसार लोगों के सामने नहीं आती, तो प्राधिकृत अधिकारी, ऐसे जलयान, यान या वायुयान में प्रवेश करने से पूर्व, ऐसी स्त्री को सूचना देगा कि वह हट जाने के लिए स्वतंत्र है और वह उसे हट जाने के लिए प्रत्येक युक्तियुक्त सुविधा उपलब्ध कराएगा।

(4) प्राधिकृत अधिकारी किसी ऐसे व्यक्ति से, जो ऐसे जलयान, यान या वायुयान में स्थित किसी बक्से, लॉकर, सेफ, या किसी अन्य रिसेप्टेकल (आधान) का स्वामी है, या जिसके पास उनका सीधा कब्जा, या नियंत्रण है, यह अपेक्षा कर सकेगा कि वह उन्हें खोले और उनकी विषय-वस्तु का निरीक्षण या जांच-पड़ताल करने के लिए उन तक पहुँच की अनुज्ञा दे, और, जहां उनकी कुंजियाँ (चाबियाँ) उपलब्ध न हों या जहां ऐसा व्यक्ति किसी ऐसी अपेक्षा का अनुपालन करने में असफल रहता है, तो वहां वह कोई भी कार्रवाई करा सकेगा जिसमें ऐसे बक्से, लॉकर, सेफ या अन्य आधान को तोड़कर खोलना भी सम्मिलित है, जिसे प्राधिकृत अधिकारी प्राधिकार के वारंट में विनिर्दिष्ट सभी प्रयोजनों या किसी प्रयोजन का पालन करने के लिए आवश्यक समझे।

(5) जहाँ तलाशी यान से संबंधित हो और वह स्थान जहाँ प्राधिकृत अधिकारी यान को पाता है, प्राधिकृत अधिकारी की राय में तलाशी के लिए अनुपयुक्त हो, तो प्राधिकृत अधिकारी के लिए यह विधिपूर्ण होगा कि वह तुरंत ऐसे व्यक्ति, जिसका तत्समय यान पर नियंत्रण हो, से यह अपेक्षा करे कि वह यान को ऐसे स्थान पर ले जाने या ले जाये जाने की अपेक्षा करे,

जिसे प्राधिकृत अधिकारी तलाशी के लिए उपयुक्त समझता हो और जो वह विनिर्दिष्ट करता हो और ऐसे यान का तत्समय नियंत्रण रखने वाले व्यक्ति से यान में या पर या के साथ आने की अपेक्षा कर सकता है ।

(6) प्राधिकृत अधिकारी किसी ऐसे व्यक्ति से, जो तत्समय यान, जलयान या वायुयान का नियंत्रण रखता हो, यह अपेक्षा कर सकेगा कि वह, तलाशी प्रारंभ होने तक, ऐसे यान, जलयान या वायुयान से, कोई भी वस्तु या अन्य चीज न हटाये ।

(7) प्राधिकृत अधिकारी प्राधिकार के वारंट में विनिर्दिष्ट सभी प्रयोजनों या उनमें से किसी प्रयोजन हेतु अपनी सहायता के लिए किसी पुलिस अधिकारी या केन्द्रीय सरकार, या राज्य सरकार के किसी अधिकारी या उन सभी की सेवाएँ अध्यपेक्षित कर सकेगा ।

(8) प्राधिकृत अधिकारी, ऐसी सहायता से, जलयान, यान या वायुयान, जिसे तलाशी लिए जाने के लिए प्राधिकृत किया गया हो, की तलाशी ले सकेगा, जहाँ यह प्रत्याशा या विश्वास हो कि वहाँ ऐसी सूचना या दस्तावेज रखे हैं ।

व्यक्तियों की तलाशी

10.(1) किसी ऐसे व्यक्ति, जो भवन, स्थान, जलयान, यान या वायुयान, जिसे प्राधिकार के वारंट के अधीन तलाशी लिए जाने के लिए प्राधिकृत किया गया हो, से बाहर आया हो, या उसमें जाने वाला हो, या उसमें हो, की तलाशी ली जा सकेगी, यदि प्राधिकृत अधिकारी के पास यह संदेह करने का कारण हो कि ऐसे व्यक्ति ने स्वयं को, किन्हीं ऐसी लेखा-बहियों को या अन्य दस्तावेजों को छुपाया हुआ है; और यदि ऐसा व्यक्ति कोई महिला हो, तो तलाशी इस प्रकार प्राधिकृत अन्य महिला अधिकारी द्वारा, शिष्टता का कड़ाई से ध्यान रखते हुए, ली जायेगी ।

(2) प्राधिकृत अधिकारी प्राधिकार के वारंट में विनिर्दिष्ट सभी प्रयोजनों या उनमें से किसी प्रयोजन हेतु अपनी सहायता के लिए किसी पुलिस अधिकारी या केन्द्रीय सरकार, या राज्य सरकार के किसी अधिकारी या उन सभी की सेवाएँ अध्यपेक्षित कर सकेगा ।

कंप्यूटर की तलाशी

11. (1) किसी स्थान या व्यक्ति की तलाशी लेने का प्राधिकार रखने वाला प्राधिकृत अधिकारी,-

(क) ऐसे कंप्यूटर सिस्टम या अन्य डाटा स्टोरेज डिवाइस तक पहुँच रखने के लिए कोई युक्तियुक्त उपाय कर सकेगा, जो उस व्यक्ति के साथ है या जो उस व्यक्ति के कब्जे या सीधे नियंत्रण में है, जिसकी तलाशी ली जा रही हो;

(ख) जिस स्थान पर तलाशी ली जा रही हो, उस स्थान पर स्थित किसी कंप्यूटर या अन्य डाटा स्टोरेज डिवाइस को चला (ऑपरेट कर) सकेगा या प्राधिकृत अधिकारी के साथ गये व्यक्ति द्वारा किसी ऐसे कंप्यूटर या अन्य डाटा स्टोरेज डिवाइस को चलवा (ऑपरेट करवा) सकेगा ; और

(ग) उस स्थान पर ऐसे किसी व्यक्ति, जिसके बारे में यह प्रतीत होता है कि वह ऐसा अधिकारी या व्यक्ति है जो किसी ऐसे कंप्यूटर या अन्य डाटा स्टोरेज डिवाइस में रखी गई उस जानकारी तक सुगम पहुँच प्रदान करने की स्थिति में है, जिस तक उस कंप्यूटर या डाटा स्टोरेज डिवाइस का इस्तेमाल करके पहुँचा जा सकता है, से यह अपेक्षा कर सकेगा कि वह, -

(i) प्राधिकृत अधिकारी को कोई पासवर्ड दे, जो उसे चलाने (ऑपरेट करने) के लिए आवश्यक हो, या

(ii) अन्यथा प्राधिकृत अधिकारी को ऐसी जानकारी की जाँच-पड़ताल करने में समर्थ बनाये जिस तक कंप्यूटर द्वारा पहुँच रखी जा सकती हो, उस रूप में जिसमें जानकारी दृश्यमान और सुपाठ्य हो।

स्पष्टीकरण - इस विनियम के प्रयोजनार्थ, -

1. 'कंप्यूटर' में इन विनियमों के विनियम (2) के उप-विनियम (1) के खण्ड (ड) के उप-खण्ड (iv) के अधीन उल्लिखित डिवाइस सम्मिलित हैं।

2. "जिस स्थान पर तलाशी ली जा रही हो, उस स्थान पर स्थित किसी कंप्यूटर या अन्य डाटा स्टोरेज डिवाइस", में कोई अन्य कंप्यूटर या अन्य डाटा स्टोरेज डिवाइस सम्मिलित है, चाहे उस स्थान पर या किसी अन्य स्थान पर, जिस तक उस कंप्यूटर के माध्यम से विधिपूर्ण रूप से पहुँच रखी जा सकती हो।

निरीक्षण की शक्ति

12. प्राधिकार के वारंट का निष्पादन करते समय प्राधिकृत अधिकारी, यदि प्राधिकृत हो, के पास किसी स्थान, भवन, जलयान, यान और वायुयान में पाये गये दस्तावेजों के निरीक्षण की शक्ति होगी।

अभिग्रहण की शक्ति

13. प्राधिकार के वारंट का निष्पादन करते समय प्राधिकृत अधिकारी, यदि प्राधिकृत हो, के पास ऐसी तलाशी के परिणामस्वरूप पाई गई किन्हीं ऐसी लेखा-बहियों या अन्य दस्तावेज का अभिग्रहण करने, या, ऐसे दस्तावेजों पर इन विनियमों के विनियम (14) के उप-विनियम (2) के खंड (झ) एवं (ञ) के अधीन, यथा लागू, ऐसे व्यक्तियों के हस्ताक्षर लेने की शक्ति होगी :

परंतु यह कि प्राधिकृत अधिकारी, जहाँ किन्हीं लेखा-बहियों या दस्तावेज का अभिग्रहण करना साध्य न हो, वहाँ स्वामी या व्यक्ति को, जिसके पास उसका सीधा कब्जा या नियंत्रण हो, यथास्थिति, अनुसूची के प्ररूप-ग या प्ररूप-घ में यथा विनिर्दिष्ट आदेश की तामील कर सकेगा कि वह प्राधिकृत अधिकारी की पूर्व अनुज्ञा के बिना उन्हें नहीं हटाएगा, विलग नहीं करेगा या अन्यथा उनके साथ व्यवहार नहीं करेगा और तब ऐसे व्यक्ति ऐसे कदम उठाएंगे जो आदेश के अनुपालन को सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक हों।

अभिग्रहण ज्ञापन

14. (1) प्राधिकार के वारंट का निष्पादन करने वाला प्राधिकृत अधिकारी, उस व्यक्ति की उपस्थिति में जिसके परिसर से या व्यक्ति से दस्तावेजों का अभिग्रहण किया गया था, यदि ऐसा व्यक्ति उपलब्ध है, तो अनुसूची के प्ररूप ड में एक अभिग्रहण ज्ञापन तैयार करेगा जो दो साक्षियों द्वारा सम्यक् रूप से हस्ताक्षरित हो, जिसमें ऐसी तलाशी के दौरान अभिगृहीत सभी दस्तावेजों की या जिनकी प्रतियाँ बनायीं गयीं उनकी और उन स्थानों की जहाँ वे क्रमशः पाये गये थे, की सूची अंतर्विष्ट होगी और ऐसे अभिगृहीत किन्हीं दस्तावेजों की तालिका का सत्यापन करेगा :

परंतु यह कि इलेक्ट्रॉनिक स्टोरेज मीडिया के अभिग्रहण या उसकी प्रतियाँ बनाये जाने अथवा इलेक्ट्रॉनिक रूप से रखी सूचनाओं का अभिग्रहण या उनकी प्रतियाँ बनाये जाने के मामले में प्राधिकृत अधिकारी अनुसूची के प्ररूप-घ में भौतिक स्टोरेज मीडिया के विवरण दर्ज करेगा जिनका अभिग्रहण किया गया या जिनकी प्रतियाँ बनायीं गयीं ।

(2) अभिग्रहण ज्ञापन में निम्नलिखित ब्योरे अंतर्विष्ट होंगे, जो लागू हों :

- (क) स्थान, भवन, जलयान, यान या वायुयान में प्रवेश और उससे निकास का समय;
- (ख) जिन व्यक्तियों की तलाशी ली गई, उन व्यक्तियों की पहचान;
- (ग) उन स्थान तथा भवन का पता और जलयान, यान या वायुयान के ब्यौरे जिनकी तलाशी ली गयी;
- (घ) अभिग्रहण के समय उपस्थित अन्य व्यक्तियों, यदि कोई हों, के ब्यौरे;
- (ङ) अभिग्रहण के समय उपस्थित अन्य व्यक्तियों, यदि कोई हों, के ब्यौरे;
- (च) प्राधिकृत अधिकारी के हस्ताक्षर;
- (छ) साक्षियों के हस्ताक्षर, अंगूठे के निशान और तारीख सहित;
- (ज) पहचान चिह्न का विवरण, यदि कोई हो, जो ऐसे किसी व्यक्ति द्वारा लगाया गया हो, जिसके कब्जे या नियंत्रण से दस्तावेजों का अभिग्रहण किया है;
- (झ) स्वामी या व्यक्ति के हस्ताक्षर, जिसके पास परिसर, भवन, यान, जलयान या वायुयान का सीधा कब्जा या नियंत्रण हो, यदि उसमें उपलब्ध हो ;
- (ञ) उन व्यक्तियों के हस्ताक्षर जिनसे अभिग्रहण किया गया है ।

पहचान चिह्न लगाने की शक्ति

15. प्राधिकार के वारंट का निष्पादन करते समय प्राधिकृत अधिकारी के पास किन्हीं लेखा-बहियों या अन्य दस्तावेजों पर पहचान का चिह्न लगाने की शक्ति होगी :

परंतु यह कि जिस व्यक्ति के कब्जे या नियंत्रण से दस्तावेज का अभिग्रहण किया जाता है, उस व्यक्ति को अभिगृहीत दस्तावेज पर अपना स्वयं का पहचान चिह्न लगाने की अनुज्ञा दी जाएगी :

परंतु यह और कि ऐसे पहचान चिह्न का विवरण अभिग्रहण ज्ञापन में अभिलिखित किया जायेगा।

प्रति बनाने की शक्ति

16. प्राधिकार के वारंट का निष्पादन करते समय प्राधिकृत अधिकारी के पास दस्तावेज या किन्हीं लेखा-बहियों के उद्धरण या प्रति बनाने या बनवाने की शक्ति होगी ।

कथन अभिलिखित करने की शक्ति

17. (1) प्राधिकार के वारंट का निष्पादन करते समय प्राधिकृत अधिकारी, यदि प्राधिकृत हो, के पास ऐसे किसी व्यक्ति का, जिसके बारे में यह पाया जाता है कि अधिनियम की धारा 11ग की उप-धारा (8) के खंड (i), (iii) या (iv) में निर्दिष्ट जानकारी या दस्तावेजों पर उसका कब्जा या नियंत्रण है, शपथ पर कथन अभिलिखित करने की शक्ति होगी :

परंतु यह कि, ऐसे व्यक्तियों द्वारा शपथ लेने से इंकार किये जाने पर, कथन अभिलिखित किया जा सकेगा, कथन में ऐसे इंकार को अभिलिखित करते हुए, जो प्राधिकृत अधिकारी द्वारा सम्यक् रूप से हस्ताक्षरित हो :

परंतु यह और कि कोई भी अध्यपेक्षित पुलिस अधिकारी कथन अभिलिखित किये जाने के समय अनुज्ञात नहीं होगा ।

(2) प्राधिकृत अधिकारी, दो साक्षियों की उपस्थिति में, कथन अभिलिखित करेगा, जिनके हस्ताक्षर इस प्रकार अभिलिखित कथन के साथ संलग्न किये जाएंगे :

परंतु यह कि प्राधिकृत अधिकारी, उसके द्वारा साक्षी को ढूँढने के लिए उचित कदम उठाये जाने पर, यह पाता है कि कोई भी साक्षी उपलब्ध नहीं है या साक्षी के रूप में खड़ा होने का इच्छुक नहीं है और उसे नोट करने के पश्चात्, कथन अभिलिखित करते समय विडियोग्राफी करायेगा, और कथन केवल इस आधार पर अविधिमान्य नहीं होगा कि कोई भी व्यक्ति कथन अभिलिखित किये जाने के लिए साक्षी के रूप में खड़ा नहीं था ।

प्राधिकार के निष्पादन संबंधी साधारण बाध्यताएँ

18. (1) प्राधिकार के वारंट को निष्पादित करने से पूर्व प्राधिकृत अधिकारी, -

- (क) अपनी स्वयं की पहचान या तो नाम द्वारा या शासकीय पहचान के दस्तावेजों द्वारा करायेगा ;
- (ख) उस व्यक्ति को जिसके अधिभोग में परिसर हो अथवा तलाशी लिए जाने वाले जलयान, यान या वायुयान के प्रभारी किसी व्यक्ति को प्राधिकार का वारंट दिखाएगा और अनुरोध किये जाने पर ऐसे प्राधिकार के वारंट की प्रति प्रदान करेगा:

परंतु यह कि यदि ऐसा व्यक्ति उपस्थित न हो, तो वारंट की प्रति तलाशी लिये जाने वाले परिसर, जलयान, यान या वायुयान के प्रमुख स्थान पर चिपकाएगा ;

- (ग) तलाशी और अभिग्रहण, यदि कोई हो, साक्षियों की उपस्थिति में करेगा और अनुसूची के प्ररूप-छ में यथा विहित पंचनामा तैयार करेगा, यदि साक्षी उपलब्ध हों;
- (घ) किसी व्यक्ति, जिसके कब्जे या नियंत्रण से दस्तावेज अभिगृहीत किया जाते हैं, को विनियम 12 के अधीन तैयार किये गये अभिग्रहण ज्ञापन की एक प्रति देगा ।

(2) प्राधिकार के वारंट को निष्पादित करने वाली प्राधिकृत अधिकारी, दिन के समय के पश्चात्, कारबार या वृत्ति के किसी स्थान पर प्रवेश नहीं करेगा :

परंतु यह कि प्राधिकार के वारंट का निष्पादन दिन के समय के पश्चात् भी जारी रहेगा, यदि प्राधिकृत अधिकारी का प्रवेश दिन के समय हो जाता है :

परंतु यह और कि ऐसे किसी अन्य निवास स्थान की बाबत, जिस स्थान के बारे में ऐसा कथित हो या विश्वास हो कि लेखा-बहियाँ, अन्य दस्तावेज वहाँ रखे हुए हैं, तलाशी केवल दिन के समय में ही प्रारंभ, फिर से प्रारंभ और समाप्त की जाएगी, जब तक कि इसके विपरीत प्राधिकृत न किया जाये :

परंतु यह और कि निवास स्थान से भिन्न ऐसे जलयान, यान या वायुयान या किसी भवन या स्थान की बाबत, जिस स्थान के बारे में ऐसा कथित हो या विश्वास हो कि लेखा-बहियाँ, अन्य दस्तावेज वहाँ रखे हुए हैं, तलाशी किसी भी समय प्रारंभ की जा सकती है और जारी रखी जा सकती है ।

(3) प्राधिकृत अधिकारी प्राधिकार के वारंट में, विहित, समय-सीमा, यदि कोई हो, के भीतर प्राधिकार के वारंट का निष्पादन करेगा :

परंतु यह कि प्राधिकृत अधिकारी उन कारणों के आधार पर जो लिखित में अभिलिखित किये जायेंगे, अध्यक्ष से समय बढ़ाने की मांग कर सकेगा ।

अध्याय IV

तलाशी लिए जाने वाले व्यक्तियों और अन्य प्रभारी व्यक्तियों के अधिकार और बाध्यताएँ
तलाशी के अधीन व्यक्तियों और प्रभारी व्यक्तियों के अधिकार

19. तलाशी लिए जाने वाले भवन, स्थान, जलयान, यान या वायुयान, के अधिभोगी, जिसमें ऐसे जलयान, यान या वायुयान का प्रभारी व्यक्ति सम्मिलित है, को, -

- (क) प्राधिकार का वारंट देखने और उसकी प्रति अभिप्राप्त करने का अधिकार होगा ;
- (ख) प्राधिकृत अधिकारी और उसकी सहायता करने वाले पदधारियों की पहचान को सत्यापित करने का अधिकार होगा ;
- (ग) तलाशी और अभिग्रहण के दौरान उपस्थित रहने का अधिकार होगा ;
- (घ) अभिगृहीत दस्तावेजों पर पहचान का अपना चिह्न लगाने तथा साथ ही अपने हस्ताक्षर करने, स्टॉप लगाने, मुद्रा (सील) लगाने आदि का भी अधिकार होगा;
- (ङ) अभिगृहीत दस्तावेज की प्रति पाने या उनमें से उद्धरण लेने का अधिकार होगा, प्राधिकृत अधिकारी या इस निमित्त उसके द्वारा प्राधिकृत किसी अन्य व्यक्ति की उपस्थिति में, ऐसे स्थान तथा युक्तियुक्त समय पर, जैसा प्राधिकृत अधिकारी इस निमित्त नियत करे ;
- (च) तलाशी और अभिग्रहण के दौरान अभिलिखित किसी कथन की प्रति पाने का अधिकार होगा ।

तलाशी के अधीन व्यक्तियों और प्रभारी व्यक्तियों की बाध्यताएँ

20. (1) किसी भवन, स्थान, जिसे तलाशी लिए जाने के लिए प्राधिकृत किया गया हो, का प्रभारी या में कोई व्यक्ति, प्राधिकार के वारंट को निष्पादित करने के लिए प्राधिकृत अधिकारी

द्वारा मांग किये जाने पर और प्राधिकार प्रस्तुत किये जाने पर, किसी व्यक्ति की पहचान करेगा, जैसी प्राधिकृत अधिकारी द्वारा अपेक्षा की जाये ।

(2) किसी जलयान, यान या वायुयान, जिसे तलाशी लिए जाने के लिए प्राधिकृत किया गया हो, का प्रभारी या में कोई व्यक्ति, प्राधिकृत अधिकारी द्वारा माँग किये जाने पर, जलयान, यान या वायुयान के स्थान का पता बताएगा और उसकी पहचान करेगा ।

(3) किसी भवन, स्थान, जलयान, यान या वायुयान, जिसे तलाशी लिए जाने के लिए प्राधिकृत किया गया हो, का प्रभारी या में कोई व्यक्ति, प्राधिकार के वारंट को निष्पादित करने के लिए प्राधिकृत अधिकारी द्वारा मांग किये जाने पर और ऐसा प्राधिकार प्रस्तुत किये जाने पर, उसे उसमें अबाध प्रवेश की अनुज्ञा देगा और उसमें तलाशी के लिए सभी युक्तियुक्त सुविधाएँ उपलब्ध कराएगा ।

(4) कोई व्यक्ति, जिसका ऐसे किसी जलयान, यान या वायुयान पर सीधा नियंत्रण हो, जिसे तलाशी लिए जाने के लिए प्राधिकृत किया गया हो, यदि वह चल रहा हो, तो तलाशी और अभिग्रहण के लिए प्राधिकृत अधिकारी के प्राधिकार को संसूचित करने पर किसी ऐसे जलयान या यान को रोकेगा अथवा किसी ऐसे वायुयान को रोकेगा और उतरवाएगा ।

(5) कारबार का प्रभारी कोई व्यक्ति या इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख का प्रभारी व्यक्ति पासवर्ड और ऐसी अन्य सूचना को प्रकट करने के लिए आबद्ध होगा, जैसी प्राधिकृत अधिकारी द्वारा मांग की जाये ।

(6) कोई व्यक्ति, जिसके बारे में यह पाया जाता है कि किन्हीं ऐसी लेखा-बहियों या अन्य दस्तावेजों, जो इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख के रूप में रखे जाते हैं, पर उसका कब्जा या नियंत्रण है, प्राधिकृत अधिकारी को ऐसी लेखा-बहियों या अन्य दस्तावेजों का निरीक्षण करने के लिए आवश्यक सुविधा उपलब्ध कराएगा ।

(7) कोई व्यक्ति, जो तलाशी के लिए प्राधिकृत ऐसे भवन, स्थान, जलयान, यान या वायुयान में स्थित किसी बक्से, लॉकर, सेफ, अलमारी या किसी अन्य रिसेप्टेकल (आधान) का स्वामी है, या जिसके पास उनका सीधा कब्जा, या नियंत्रण है, ऐसे आधानों की पहचान करेगा जिनमें आस्तियाँ या लेखा-बहियाँ और दस्तावेज रखे हों और ऐसे आधानों की कुंजियाँ(चाबियाँ) प्राधिकृत अधिकारी को सौंपेगा ।

(8) कोई भी व्यक्ति किसी प्राधिकृत अधिकारी या उसकी सहायता करने वाले किन्हीं अधिकारियों को प्राधिकार के वारंट का निष्पादन करने से नहीं रोकेगा ।

अध्याय V

दस्तावेजों की सुरक्षित अभिरक्षा और दस्तावेजों को वापस करना

अभिगृहीत दस्तावेजों की सुरक्षित अभिरक्षा

21. (1) अभिगृहीत दस्तावेज अभिरक्षा के स्थान तक सुरक्षित ढंग से पारेषित किया जायेगा।

(2) प्राधिकृत अधिकारी जो अन्वेषक प्राधिकारी नहीं है, अभिगृहीत दस्तावेज अभिग्रहण ज्ञापन के साथ अन्वेषक प्राधिकारी को सौंपेगा ।

(3) अन्वेषक प्राधिकारी इन विनियमों के अधीन अभिगृहीत बहियों, रजिस्ट्रों, अन्य दस्तावेजों और अभिलेखों को ऐसी अवधि तक अपनी अभिरक्षा में रखेगा, जो अन्वेषण की समाप्ति के अपश्चात् की हो, जैसी वह आवश्यक समझे :

परंतु यह कि, ऐसी बहियाँ, रजिस्टर, अन्य दस्तावेज और अभिलेख अन्वेषक प्राधिकारी द्वारा अभिग्रहण की तारीख से एक सौ अस्सी दिनों से अधिक की अवधि के लिए, अध्यक्ष का अनुमोदन के बिना, प्रतिधारित नहीं किये जायेंगे ।

(4) यथास्थिति, प्राधिकृत अधिकारी या अन्वेषक प्राधिकारी, यह सुनिश्चित करेगा कि कागजी अभिलेखों में परिवर्तन न किया जाये, को नुकसान न पहुँचाया जाये, विकृत न किया जाये, और इलेक्ट्रॉनिक अभिलेखों में परिवर्तन न किया जाये या उन्हें मिटा न दिया जाये ।

(5) यथास्थिति, प्राधिकृत अधिकारी या अन्वेषक प्राधिकारी, यह सुनिश्चित करेगा कि कागजी दस्तावेजों और इलेक्ट्रॉनिक स्टोरेज डिवाइसों, जिनमें इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख रखे जाते हैं, को, उपयुक्त भौतिक और पर्यावरणीय परिस्थितियों में, बनाये रखे जाते हैं या रखे जाते हैं ।

दस्तावेजों को वापस करना

22. (1) अन्वेषक प्राधिकारी विनियम 21 के अधीन रखे गये दस्तावेज कंपनी या अन्य निगमित निकाय को, या, यथास्थिति, प्रबंध निदेशक या प्रबंधक या किसी अन्य व्यक्ति को वापस करेगा जिसकी अभिरक्षा या शक्ति से उन्हें अभिगृहीत किया गया था :

परंतु यह कि अन्वेषक प्राधिकारी, पूर्वोक्तानुसार ऐसी बहियों, रजिस्ट्रों, अन्य दस्तावेजों और अभिलेख को वापस करने से पूर्व, उन पर या उनके किसी भाग पर पहचान चिह्न लगा सकेगा ।

(2) व्यक्तिगत जानकारी, जो इन विनियमों के अनुसार अभिगृहीत तथा रखे गये किसी दस्तावेज से पृथक् की जा सकती हो, अन्वेषक प्राधिकारी द्वारा ऐसे व्यक्ति, जिससे ऐसी जानकारी संबंधित हो, को इस निमित्त उसके द्वारा किये गये लिखित अनुरोध पर, वापस कर दी जायेगी ।

व्यक्तिगत जानकारी का संरक्षण

23. इन विनियमों के अनुसार अभिगृहीत तथा रखे गये किसी दस्तावेज में दी हुई व्यक्तिगत जानकारी किसी पर व्यक्ति को प्रकट नहीं की जायेगी, सिवाय तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अनुपालन हेतु, उस व्यक्ति की सहमति के बिना जिससे वह जानकारी संबंधित हो ।

न्यायालयिक प्रति का प्रतिधारण

24. इन विनियमों के विनियम 22 में दी हुई किसी बात के होते हुए भी, -

(क) डाटा की न्यायालयिक प्रति या स्टोरेज डिवाइस का मिरर इमेज और उसकी प्रति प्रतिधारित की जा सकेगी, यह समाधान हो जाने पर कि ऐसे डाटा या इमेज का साक्ष्यिक महत्त्व है।

(ख) इन विनियमों के अनुसार अभिगृहीत किसी अन्य दस्तावेज से बनायी गयी या निकाली गयी कोई प्रति प्रतिधारित की जा सकेगी।

अध्याय VI

विविध

बाध्यताओं के अननुपालन के लिए दायित्व

25. तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अधीन किसी कार्रवाई पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, -

(क) कोई मध्यवर्ती, जो प्राधिकार के वारंट का निष्पादन करते समय बाध्यताओं में से किसी बाध्यता का अनुपालन करने में असफल रहता है, निम्नलिखित कार्रवाइयों में से किसी एक कार्रवाई या अधिक कार्रवाइयों के लिए दायी होगा :

- (i) अधिनियम की धारा 15जख के अधीन न्यायनिर्णयन;
- (ii) भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (मध्यवर्ती) विनियम, 2008 के अध्याय V के अधीन कार्यवाहियाँ;
- (iii) अधिनियम की धारा 24 के अधीन अभियोजन।

(ख) मध्यवर्ती से भिन्न कोई व्यक्ति, जो प्राधिकार के वारंट का निष्पादन करते समय बाध्यताओं में से किसी बाध्यता का अनुपालन करने में असफल रहता है, निम्नलिखित कार्रवाइयों में से किसी एक कार्रवाई या अधिक कार्रवाइयों के लिए दायी होगा :

- (i) अधिनियम की धारा 15जख के अधीन न्यायनिर्णयन;
- (ii) अधिनियम की धारा 11ख और धारा 11 की उप-धारा (4) के अधीन कार्रवाई;
- (iii) अधिनियम की धारा 24 के अधीन अभियोजन।

कठिनाइयों को दूर करने की शक्ति

26. इन विनियमों के उपबंधों के निर्वचन या लागू होने में किन्हीं कठिनाइयों को दूर करने के लिए, बोर्ड मार्गदर्शक सिद्धांत या परिपत्र जारी कर सकेगा।

अनुसूची

प्ररूप - क

[विनियम 3 देखें]

प्राधिकार का वारंट जारी करने की मांग करने हेतु अनुरोध

..... के मामले में

यतः भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड अधिनियम, 1992 की धारा 11ग(3) के अधीन, अधोहस्ताक्षरी द्वारा _____ [व्यक्ति का नाम] को _____ [तारीख] को, सुसंगत समनों या नोटिस में विनिर्दिष्ट लेखा-बहियों या अन्य दस्तावेजों को पेश करने, या पेश करवाने के लिए एक नोटिस (सूचना) जारी किया गया है और उसने/उन्होंने ऐसे नोटिस द्वारा

अपेक्षित ऐसी लेखा-बहियों या अन्य दस्तावेजों, जो प्रतिभूति विधियों के अधीन कार्यवाहियों के लिए उपयोगी होंगे, या उनसे सुसंगत होंगे, का लोप किया है, वह/वे पेश करने, या पेश करवाने में असफल रहा है/रही है/रहे हैं, वह/वे ऐसे समनों या नोटिस द्वारा यथा अपेक्षित अथवा अन्वेषण से सुसंगत ऐसी लेखा-बहियों या जानकारी या अन्य दस्तावेजों को पेश नहीं करेगा/करेगी/करेंगे, या पेश नहीं करवाएगा/करवाएगी/करवाएंगे, अथवा उन्हें नष्ट, विकृत, परिवर्तित, मिथ्याकृत करेगा/करेगी/करेंगे या उन्हें छिपायगा/छिपायेगी/छिपायेंगे; या

यतः भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड अधिनियम, 1992 की धारा 11ग(3) के अधीन, अधोहस्ताक्षरी द्वारा _____ [व्यक्ति का नाम] को लेखा-बहियों या अन्य दस्तावेज, जो प्रतिभूति विधियों के अधीन कार्यवाहियों के लिए उपयोगी होंगे, या उनसे सुसंगत होंगे, को पेश करने, या पेश करवाने के लिए नोटिस जारी किया जाना चाहिए और वह/वे ऐसी जानकारी उपलब्ध नहीं करायेगा/करायेगी/करायेगे, या, दस्तावेज प्रस्तुत नहीं करेगा/करेगी/करेंगे, जो अन्वेषण के लिए उपयोगी, या उससे सुसंगत होगी;

और यतः मेरे पास यह विश्वास करने का कारण है कि ऐसी लेखा-बहियाँ, अन्य दस्तावेज रखे गये हैं और जो

(भवन/स्थान/जलयान/यान/वायुयान के विवरण या ऐसे ब्यौरे, जो ऐसे भवन/स्थान की स्थिति बतायें या ऐसे ब्यौरे, जो ऐसे जलयान/यान/वायुयान की पहचान करायें, विनिर्दिष्ट करें) में पाये जाने हैं, प्राधिकार का वारंट -

1. -----(प्राधिकृत अधिकारी का नाम एवं पदनाम)
2. -----(प्राधिकृत अधिकारी का नाम एवं पदनाम)
3. -----(प्राधिकृत अधिकारी का नाम एवं पदनाम)

को निम्नलिखित के लिए जारी किया जा सकेगा :

(क) ऐसे उक्त भवन या स्थान या जलयान या यान या वायुयान में प्रवेश करने और तलाशी लेने के लिए, ऐसी सहायता के साथ, जो अपेक्षित हो ;

(ख) अधिनियम और इन विनियमों के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करने के लिए किसी दरवाजे, बक्से, लॉकर, सेफ, अलमारी, या अन्य आधान का ताला तोड़ कर खोलने के लिए, जहाँ उनकी कुंजियाँ(चाबियाँ) उपलब्ध न हों ;

(ग) किसी ऐसे व्यक्ति, जो भवन या स्थान या जलयान या यान या वायुयान, से बाहर आया हो, या उसमें जाने वाला हो, या उसमें हो, की तलाशी करने के लिए, यदि प्राधिकृत अधिकारी/अधिकारियों के पास यह संदेह करने का कारण हो कि ऐसे व्यक्ति ने स्वयं को, किन्हीं ऐसी लेखा-बहियों को या अन्य दस्तावेज को छुपाया हुआ है ;

(घ) ऐसे किसी व्यक्ति, जिसके बारे में यह पाया जाता है कि कोई ऐसी लेखा-बहियाँ या अन्य दस्तावेजों, जो इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख के रूप में रखे जाते हैं, पर उसका कब्जा या नियंत्रण है, से यह अपेक्षा करने के लिए कि वह प्राधिकृत अधिकारी को ऐसी लेखा-बहियों या अन्य दस्तावेजों का निरीक्षण करने के लिए आवश्यक सुविधा उपलब्ध कराये ;

स्पष्टीकरण - इस खंड के प्रयोजनार्थ, पद "इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख" का वही अर्थ होगा, जो सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 की धारा (2) की उप-धारा (1) के खंड (न) में नियत है ;

(ड) ऐसी तलाशी के परिणामस्वरूप पाई गई और अन्वेषण से सुसंगत या उसके लिए उपयोगी किन्हीं ऐसी लेखा-बहियों या अन्य दस्तावेजों का अभिग्रहण करने तथा उनका कब्जा लेने के लिए और विशिष्टियों सहित उनकी सूची तैयार करने के लिए;

(च) लेखा-बहियों या अन्य दस्तावेजों पर पहचान का चिह्न लगाने के लिए अथवा उनमें से उद्धरण या प्रतियाँ बनवाने के लिए ;

(छ) ऐसे किसी व्यक्ति का, जिसके बारे में यह पाया जाता है कि अधिनियम की धारा 11ग(8) के उप-खंड (i), (iii) तथा (iv) में निर्दिष्ट सूचना या दस्तावेजों पर उसका कब्जा या नियंत्रण है, शपथ पर कथन अभिलिखित करने के लिए;

(ज) दिन के समय के दौरान, या रात में (यदि यह संदेह करने के आधार हों कि वारंट का उद्देश्य विफल हो जाएगा) तलाशी करने के लिए;

(झ) अनेक निष्पादन करने के लिए ;

(ञ) भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (तलाशी और अभिग्रहण के लिए प्रक्रिया) विनियम, 2014 के अनुसार प्राधिकार के इस वारंट में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करने के लिए।

तारीख

हस्ताक्षर

अन्वेषक प्राधिकारी

भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड

प्ररूप - ख

[विनियम 4 देखें]

भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड अधिनियम, 1992 की धारा 11ग की उप-धारा (8) और भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (तलाशी और अभिग्रहण के लिए प्रक्रिया) विनियम, 2014 के विनियम 4 के अधीन प्राधिकार का वारंट

..... के मामले में

यतः जानकारी मेरे समक्ष रखी गई है और उस पर विचार करने पर मेरे पास यह विश्वास करने का कारण है कि, -

भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड अधिनियम, 1992 की धारा 11ग(3) के अधीन, अन्वेषक प्राधिकारी द्वारा _____ [व्यक्ति का नाम] को _____ [तारीख] को, सुसंगत समनों या नोटिस में विनिर्दिष्ट लेखा-बहियों या अन्य दस्तावेजों को पेश करने, या पेश करवाने के लिए एक नोटिस (सूचना) जारी किया गया है और उसने/उन्होंने ऐसे नोटिस द्वारा अपेक्षित ऐसी लेखा-बहियों या अन्य दस्तावेजों, जो प्रतिभूति विधियों के अधीन कार्यवाहियों के लिए उपयोगी होंगे, या उनसे सुसंगत होंगे, का लोप किया है, वह/वे पेश करने, या पेश करवाने में असफल रहा है/रही है/रहे हैं, वह/वे ऐसे समनों या नोटिस द्वारा यथा अपेक्षित अथवा अन्वेषण से सुसंगत ऐसी लेखा-बहियों या जानकारी या अन्य दस्तावेजों को पेश नहीं करेगा/करेगी/करेंगे, या पेश नहीं करवाएगा/करवाएगी/करवाएंगे, अथवा उन्हें नष्ट, विकृत, परिवर्तित, मिथ्याकृत करेगा/करेगी/करेंगे या उन्हें छिपाएगा/छिपाएंगी/छिपाएंगे; या

भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड अधिनियम, 1992 की धारा 11ग(3) के अधीन, अन्वेषक प्राधिकारी द्वारा _____ [व्यक्ति का नाम] को लेखा-बहियों या अन्य दस्तावेज, जो प्रतिभूति विधियों के अधीन कार्यवाहियों के लिए उपयोगी होंगे, या उनसे सुसंगत होंगे, को पेश करने, या पेश करवाने के लिए नोटिस जारी किया जाना चाहिए और वह/वे ऐसी जानकारी उपलब्ध नहीं कराएगा/कराएंगी/कराएंगे, या, दस्तावेज प्रस्तुत नहीं करेगा/करेगी/करेंगे, जो अन्वेषण के लिए उपयोगी, या उससे सुसंगत होगी;

और यतः मेरे पास यह संदेह करने का कारण है कि ऐसी लेखा-बहियाँ, अन्य दस्तावेज रखे गये हैं और जो

(भवन/स्थान/जलयान/यान/वायुयान के विवरण या ऐसे ब्यौरे, जो ऐसे भवन/स्थान की स्थिति बतायें या ऐसे ब्यौरे, जो ऐसे जलयान/यान/वायुयान की पहचान करायें, विनिर्दिष्ट करें) में पाये जाने हैं ;

और यतः यह समाधान हो जाने पर कि प्राधिकार के वारंट को जारी किया जाना आवश्यक है, यह प्राधिकार का वारंट —

1. -----(प्राधिकृत अधिकारी का नाम एवं पदनाम)
2. -----(प्राधिकृत अधिकारी का नाम एवं पदनाम)
3. -----(प्राधिकृत अधिकारी का नाम एवं पदनाम)

को निम्नलिखित के लिए जारी किया जाता है :

(क) ऐसे उक्त भवन या स्थान या जलयान या यान या वायुयान में प्रवेश करने और तलाशी लेने के लिए, ऐसी सहायता के साथ, जो अपेक्षित हो ;

(ख) अधिनियम और इन विनियमों के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करने के लिए किसी दरवाजे, बक्से, लॉकर, सेफ, अलमारी, या अन्य आधान का ताला तोड़ कर खोलने के लिए, जहाँ उनकी कुंजियाँ(चाबियाँ) उपलब्ध न हों ;

(ग) किसी ऐसे व्यक्ति, जो भवन या स्थान या जलयान या यान या वायुयान, से बाहर आया हो, या उसमें जाने वाला हो, या उसमें हो, की तलाशी करने के लिए, जहाँ यह संदेह करने का कारण हो कि ऐसे व्यक्ति ने स्वयं को, किन्हीं ऐसी लेखा-बहियों को या अन्य दस्तावेज को छुपाया हुआ है ;

(घ) ऐसे किसी व्यक्ति, जिसके बारे में यह पाया जाता है कि कोई ऐसी लेखा-बहियाँ या अन्य दस्तावेजों, जो इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख के रूप में रखे जाते हैं, पर उसका कब्जा या नियंत्रण है, से यह अपेक्षा करने के लिए कि वह आपको ऐसी लेखा-बहियों या अन्य दस्तावेजों का निरीक्षण करने के लिए आवश्यक सुविधा उपलब्ध कराये ;

स्पष्टीकरण - इस खंड के प्रयोजनार्थ, पद "इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख" का वही अर्थ होगा, जो सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 की धारा (2) की उप-धारा (1) के खंड (न) में नियत है ;

(ङ) ऐसी तलाशी के परिणामस्वरूप पाई गई और अन्वेषण से सुसंगत या उसके लिए उपयोगी किन्हीं ऐसी लेखा-बहियों या अन्य दस्तावेजों का अभिगृहण करने तथा उनका कब्जा लेने के लिए और विशिष्टियों सहित उनकी सूची तैयार करने के लिए;

(च) लेखा-बहियों या अन्य दस्तावेजों पर पहचान का चिह्न लगाने के लिए अथवा उनमें से उद्धरण या प्रतियाँ बनवाने के लिए ;

(छ) ऐसे किसी व्यक्ति का, जिसके बारे में यह पाया जाता है कि अधिनियम की धारा 11ग(8) के उप-खंड (i), (iii) तथा (iv) में निर्दिष्ट सूचना या दस्तावेजों पर उसका कब्जा या नियंत्रण है, शपथ पर कथन अभिलिखित करने के लिए;

(ज) दिन के समय के दौरान, या रात में (यदि यह संदेह करने के आधार हों कि वारंट का उद्देश्य विफल हो जाएगा) तलाशी करने के लिए;

(झ) अनेक निष्पादन करने के लिए ;

(ञ) भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (तलाशी और अभिगृहण के लिए प्रक्रिया) विनियम, 2014 के अनुसार प्राधिकार के इस वारंट में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करने के लिए।

आप प्राधिकार के वारंट में विनिर्दिष्ट सभी प्रयोजनों या उनमें से किसी प्रयोजन हेतु अपनी सहायता के लिए किसी पुलिस अधिकारी या केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार या दोनों के

किसी अधिकारी की सेवाएँ अध्यपेक्षित कर सकेंगे। यह वारंट को या उससे पूर्व निष्पादित किया जाएगा।

तलाशी लिए जाने वाले भवन, स्थान, जलयान, यान या वायुयान, के अधिभोगी, जिसमें ऐसे जलयान, यान या वायुयान का प्रभारी व्यक्ति सम्मिलित है, को,—

(क) अध्यक्ष द्वारा सम्यक् रूप से हस्ताक्षरित मुद्रांकित प्राधिकार का वारंट देखने और ऐसे प्राधिकार के वारंट की प्रति अभिप्राप्त करने का अधिकार होगा ;

(ख) प्राधिकृत अधिकारी की सहायता करने वाले पदधारियों की पहचान को सत्यापित करने का अधिकार होगा ;

(ग) तलाशी और अभिग्रहण के दौरान हाजिर रहने का अधिकार होगा ;

(घ) विनियम 12 के अधीन तैयार किये गये अभिग्रहण ज्ञापन की प्रति पाने का अधिकार होगा और जो किसी व्यक्ति, जिसके कब्जे या नियंत्रण से दस्तावेज अभिगृहीत किया गया, को सौंपा जायेगा ;

(ङ.) अभिगृहीत दस्तावेज की प्रति पाने या उनमें से उद्धरण लेने का अधिकार होगा, प्राधिकृत अधिकारी या इस निमित्त उसके द्वारा सशक्त किसी अन्य व्यक्ति की उपस्थिति में, ऐसे स्थान तथा युक्तियुक्त समय पर, जैसा प्राधिकृत अधिकारी इस निमित्त नियत करे ;

(च) तलाशी और अभिग्रहण के दौरान अभिलिखित किसी कथन की प्रति पाने का अधिकार होगा ;

(छ) अभिगृहीत दस्तावेजों पर उसका अपना पहचान का चिह्न लगाने का अधिकार होगा, पहचान के ऐसे चिह्न का विवरण अभिलिखित करने पर।

तारीख

अध्यक्ष

भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड

मुद्रा

प्ररूप-ग

(विनियम 13 देखें)

भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (तलाशी और अभिग्रहण के लिए प्रक्रिया) विनियम, 2014 के विनियम 13 के परंतुक के अधीन आदेश

भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (तलाशी और अभिग्रहण के लिए प्रक्रिया) विनियम, 2014 के विनियम 4 के साथ पठित भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड अधिनियम, 1992 की धारा 11ग(8) के अधीन अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हुए अध्यक्ष, भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड द्वारा जारी तारीख _____ के प्राधिकार के वारंट के अधीन मुझ में निहित शक्तियों के आधार पर मैं, _____[प्राधिकृत अधिकारी

का नाम] एतद्वारा आपको आदेश देता हूँ कि मेरी पूर्व अनुज्ञा के बिना नीचे उल्लिखित वस्तुओं को न हटाएँ, विलग न करें या उनके साथ अन्यथा व्यवहार न करें ।

वस्तुओं के ब्यौरे

- 1.
- 2.
- 3.
- 4.
- 5.

मुद्रा

प्राधिकृत अधिकारी के हस्ताक्षर

नाम

पूरा पदनाम

दूरभाष संख्या

तारीख : समय:

संपर्क पता :

सेवा में,

प्रति : 1.

2.

प्ररूप - घ

(विनियम 13 देखें)

भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (तलाशी और अभिग्रहण के लिए प्रक्रिया) विनियम,
2014 के विनियम 13 के परंतुक के अधीन आदेश

प्रति,

श्री / सुश्री / श्रीमती

यतः भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (तलाशी और अभिग्रहण के लिए प्रक्रिया) विनियम, 2014 के विनियम 4 के साथ पठित भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड अधिनियम, 1992 की धारा 11ग(8) के अधीन अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हुए अध्यक्ष, भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड द्वारा जारी प्राधिकार के वारंट के निबंधनों के अनुसार,

मुझे _____ के स्वामित्वाधीन/ द्वारा अधिभोगित परिसर की तलाशी के परिणामस्वरूप प्राप्त लेखा-बहियों, अन्य दस्तावेजों या अन्य सुसंगत अभिलेखों / वस्तुओं का अभिग्रहण करने के लिए प्राधिकृत किया गया है और यतः मेरा यह मत है कि संप्रेक्षण में उल्लिखित लेखा-बहियों, अन्य दस्तावेजों या अन्य सुसंगत अभिलेखों / वस्तुओं को भौतिक रूप से ले जाना _____ के कारण संभव/साध्य नहीं है, मैं, भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (तलाशी और अभिग्रहण के लिए प्रक्रिया) विनियम, 2014 के विनियम 13 द्वारा मुझे प्रदत्त प्राधिकार का प्रयोग करते हुए, एतद्वारा आपको आदेश देता हूँ कि आप लिखित रूप में मेरी पूर्व अनुज्ञा के बिना संप्रेक्षण में उल्लिखित लेखा बहियों, अन्य दस्तावेजों या अन्य सुसंगत अभिलेखों / वस्तुओं को न हटाएँ, विलग न करें या उनके साथ अन्यथा व्यवहार न करें ।

इस आदेश की तामील भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (तलाशी और अभिग्रहण के लिए प्रक्रिया) विनियम, 2014 के विनियम 13 के परंतुक के अधीन लेखा बहियों, अन्य दस्तावेजों या अन्य सुसंगत अभिलेखों / वस्तुओं का अभिग्रहण समझे जाने की कोटि में आती है ।

प्राधिकृत अधिकारी के हस्ताक्षर

प्ररूप - ड

(विनियम 14 देखें)

अभिग्रहण ज्ञापन - प्राप्त / अभिगृहीत, बहियों आदि की सूची / तालिका

पृष्ठ _____ तलाशी की तारीख _____

1. प्राधिकृत अधिकारियों के नाम और पदनाम
 - (क) तलाशी दल का प्रमुख
 - (ख) अन्य प्राधिकृत अधिकारी
2. (क) मामले में प्राधिकार का वारंट :
 - (i) नाम:
 - (ii) पता:
- (ख) जिन परिसरों की तलाशी ली गयी उन परिसरों के ब्यौरे :
 - (i) विवरण और पता:
 - (ii) जिस व्यक्ति से संबंधित होने का दावा किया गया
3. जिन व्यक्तियों की तलाशी ली गयी, उन व्यक्तियों के ब्यौरे
 - (i) व्यक्तियों की पहचान
 - (ii) व्यक्तियों के पते
4. तलाशी की तारीख और समय:
 - (क) को बजे तलाशी प्रारंभ की गयी ।
 - (ख) को.....बजे तलाशी समाप्त की गयी ।

भाग-क**अभिग्रहण ज्ञापन - कंप्यूटर / भौतिक (फिज़िकल) स्टोरेज डिवाइस**

1. पक्षकार का नाम :
2. स्थान :
3. कंप्यूटर सिस्टम : क) (पीसी/ मिनी / मेन फ्रेम / अन्य)
ख) (स्टैंड अलोन/ लैन / मल्टीयूज़र / अन्य)
4. मशीन का विन्यास (कन्फिग्यूरेशन)
क) हार्ड डिस्क की सं. :
ख) हार्ड डिस्क की क्षमता :
(20 एमबी/40 एमबी/अन्य)
5. कंप्यूटरों और प्राप्त प्रत्येक कंप्यूटर के लिए टर्मिनलों की संख्या :
6. पक्षकार द्वारा प्रयोग की गयी बैक अप डिवाइस : (फ्लॉपियाँ / टेप / अन्य)
7. मशीन आपूर्तिकर्ता का नाम :
8. मशीन का प्रकार : (पीसी / एक्सटी / एटी386/ एटी586 / अन्य)
9. ऑपरेटिंग सिस्टम : (विंडोज / डॉस / लिंक / ज़ेनिक्स / अन्य)
10. ऑपरेटिंग सिस्टम का वर्जन :
11. प्रयोग में लाये जा रहे सॉफ्टवेयर पैकेज : (वर्डस्टार / लोटस / डी-बेस / फॉक्स बेस / स्वयं विकसित किये गये सॉफ्टवेयर / अन्य)
12. पक्षकार द्वारा प्रयोग किये गये सॉफ्टवेयर पैकजों का आपूर्तिकर्ता :
13. पासवर्ड
1) लॉग-इन पासवर्ड :
2) मास्टर पासवर्ड :
3) अन्य पासवर्ड :
14. डाटा फाइल की प्रकृति : (वर्डस्टार / लोटस / डी-बेस / फॉक्स बेस / अन्य)
15. डाटा फाइल में संव्यवहारों (ट्रांजेक्शन) की प्रकृति : (लेखें / पत्र / ऑपरेशन / अनुसंधान/ अन्य):
16. प्राप्त फ्लॉपियों / कार्ट्रिजों / टेपों की संख्या :
17. कंप्यूटर चलाने (ऑपरेट करने) वाले व्यक्तियों के नाम :

भाग - ख**कंप्यूटर का डाटा बैकअप संबंधी रिपोर्ट**

1. पक्षकार का नाम :

2. स्थान :

3. हार्ड डिस्क, बैकअप

का विवरण :

कंप्यूटर का आईडी नं.	कुल क्षमता	प्रत्येक ड्राइव की क्षमता	प्रत्येक ड्राइव में प्रयोग की गयी मेमोरी	प्रत्येक ड्राइव से बैकअप की गयी मेमोरी	टिप्पणियाँ

4. प्रारंभ करने का समय समाप्त करने का समय अवधि
टिप्पणियाँ

5. प्रत्येक हार्ड डिस्क की बैकिंग प्रक्रिया संबंधी संक्षिप्त रिपोर्ट :-

(पूरी हार्ड डिस्क की डायरेक्ट्री लिस्टिंग, बैकअप के लिए प्रयोग की गयी कमांड, ऑपरेटिंग सिस्टम का वर्जन, बैकअप करते समय सामने आयी समस्या, यदि कोई हो, तो इस रिपोर्ट में उसका उल्लेख किया जाना चाहिए)

()

()

कंप्यूटर कार्मिक

प्राधिकृत अधिकारी

पंच के हस्ताक्षर

प्राधिकृत अधिकारी के हस्ताक्षर

(नाम और पदनाम सहित)

1.

1.

2.

2.

(अंगूठे के निशान सहित)

इन विनियमों के विनियम 12(2) (झ) और/या (ज) के अधीन व्यक्तियों के हस्ताक्षर

प्ररूप-छ

पंचनामा

(विनियम 18 देखें)

[दो प्रतियों में तैयार किया जाना है]

पक्षकार सं.

[क] जिस मामले में वारंट है :

[ख] तलाशी का वारंट : [तलाशी के स्थान के ब्यौरे एवं स्वामित्व]

दूरभाष संख्याएँ

[ग] तलाशी दल में शामिल हैं :

प्राधिकृत अधिकारी

नाम

पूरा पदनाम

1.

2.

3.

4.

5.

अन्य पदधारी, जिन्होंने प्राधिकृत अधिकारियों की सहायता की

6.

7.

8.

9.

[घ] पंच के नाम और उनका पूरा पता :

1.

2.

श्री _____ द्वारा तारीख _____ को पूर्वाहन / अपराहन _____ बजे बुलाये जाने पर, हम, उपरोक्त नामित पंच, तलाशी के उपरोक्त स्थान पर प्रस्तुत थे । प्राधिकृत अधिकारी, श्री _____ ने उपरोक्त [क] के मामले में जारी उपरोक्त [ख] में उल्लिखित स्थान की तलाशी किये जाने के और अध्यक्ष, भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड, मुंबई द्वारा सम्यक रूप से हस्ताक्षरित तारीख _____ का प्राधिकार का वारंट श्री / श्रीमती _____, जो उक्त स्थान पर उस समय उपस्थित थे / थीं, को दिखाया, जिन्होंने उक्त प्राधिकार को पढ़ने के पश्चात् / स्थानीय भाषा, अर्थात् _____ में, प्राधिकार की व्याख्या श्री / श्रीमती _____ द्वारा किये जाने के पश्चात् इस बात के प्रमाणस्वरूप कि उन्होंने इसे समझ लिया है, हमारी उपस्थिति में हमारे साथ इस पर हस्ताक्षर किये ।

2. चूंकि आज की तलाशी _____ की कार्यवाही के अनुक्रम में थी, हमने उपरोक्त प्राधिकृत अधिकारियों के साथ आज की कार्यवाही शुरू करने से पहले मुहर का निरीक्षण किया जो उस तारीख को लगायी गयी थी और हमने उसे अविकल / टूटा हुआ पाया जैसा कि संलग्नकों में वर्णन किया गया है ।

3. ऊपर विनिर्दिष्ट तलाशी दल ने तलाशी प्रारंभ करने से पूर्व अपनी व्यक्तिगत तलाशी के लिए अपने-आप को पेश किया, जो ली गयी / अस्वीकार कर दी गयी ।

4. ऊपर विनिर्दिष्ट स्थान की तलाशी उक्त दल द्वारा हमारी उपस्थिति में उन परिसरों के किसी भी अधिभोगियों की भावनाओं को ठेस पहुँचाये बिना व्यवस्थित तरीके से की ली गयी ।

5. तलाशी के दौरान,

(क) निम्नलिखित प्राप्त हुआ और अभिगृहित किया गया :

लेखा बहियाँ / रजिस्टर / अन्य दस्तावेज / अभिलेख, आदि, संलग्नक 'क' के अनुसार (_____पन्ने)

(ख) निम्नलिखित प्राप्त हुआ किंतु उनका अभिग्रहण नहीं किया गया :

(i) संलग्नक के अनुसार लेखा बहियाँ और दस्तावेज, जिन पर पहचान चिह्न लगा दिये गये थे तथा चिह्नों का नमूना और उन पृष्ठों, जिन पर ये लगाये गये, को तैयार की गयी तालिका अर्थात् संलग्नक 1 में दर्शाया गया है ।

6. तलाशी के दौरान, प्राधिकृत अधिकारी श्री _____ने श्री _____के कथन (कथनों) को सत्यनिष्ठ प्रतिज्ञान / शपथ पर, हमारी उपस्थिति में रिकार्ड किया । उपरोक्त अभिसाक्षी का किसी भी प्रकार का प्रपीड़न नहीं किया गया, को धमकी नहीं दी गयी, उत्प्रेरणा, वचन नहीं दिया गया या अन्य अनुचित प्रभाव नहीं डाला गया । कथन पढ़ कर/स्थानीय भाषा, अर्थात् _____में उसकी व्याख्या कर उक्त अभिसाक्षी को सुनाया गया, जिसने इस बात के प्रमाणस्वरूप कि उसने कथन की विषय-वस्तु को समझ लिया है और इस पर सहमत होते हुए कि यह ठीक तरह से रिकार्ड किया गया था, कथन पर हस्ताक्षर किये ।

7. निम्नलिखित अन्य महत्वपूर्ण व्यक्ति तलाशी के स्थान पर उपस्थित थे और उन्होंने या तो तलाशी में सक्रिय रूप से भाग लिया या तलाशी की कार्यवाही में सहायता की ।

नाम

संबंध

8. तलाशी तारीख _____को पूर्वाहन / अपराहन _____बजे प्रारंभ की गयी और कार्यवाहियाँ पूर्वाहन / अपराहन _____बजे अंतिम रूप से / तत्पश्चात् प्रारंभ किये जाने के लिए उस दिन के लिए अस्थायी रूप से समाप्त कर दी गयी जिसके प्रयोजनार्थ पूरे स्थान / _____पर हमारी उपस्थिति में मुहर लगायी गयी थी ।

9. भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (तलाशी और अभिग्रहण के लिए प्रक्रिया) विनियम, 2014 के विनियम 14 के तहत सील किये हुए परिसरों / _____की बाबत श्री / श्रीमती _____को उक्त प्राधिकृत अधिकारियों द्वारा आदेश तामील किया गया ।

10. तलाशी के ऊपर विनिर्दिष्ट स्थान को छोड़ने से पूर्व पूरे तलाशी दल ने अपनी व्यक्तिगत तलाशी के लिए अपने-आप को पेश किया, जो ली गयी / अस्वीकार कर दी गयी। उपरोक्त पंचनामा हमारे द्वारा पढ़ लिया गया है/ श्री / श्रीमती _____ द्वारा स्थानीय भाषा _____ में हमें समझा दिया गया है और यह प्रमाणित किया जाता है कि इसे सही प्रकार अभिलिखित किया गया है।

तारीख सहित पंच के हस्ताक्षर

1. _____

2. _____

प्राधिकृत अधिकारी के हस्ताक्षर

पंचनामे की प्रति प्राप्त करने वाले व्यक्ति के हस्ताक्षर

नाम :

नाम

पदनाम :

'क' में पद/ से संबंध

तारीख : मुद्रा

तारीख :

तलाशी की कार्रवाई के लिए पुलिस सहायता की अध्यपेक्षा हेतु प्रोफार्मा
[विनियम 8(5), 9(7) तथा 10(2) देखें]

तारीख :

पुलिस आयुक्त / पुलिस अधीक्षक

.....

.....

.....

महोदय,

1. भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड, भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड अधिनियम, 1992 की धारा 11ग(8) और भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड अधिनियम, 1992 की धारा 11ग(11) के साथ पठित दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 के लागू उपबंधों के अधीन कतिपय कार्रवाई करने पर विचार कर रहा है। चूंकि प्रस्तावित स्थान एक संवेदनशील परिक्षेत्र में है और ऐसी आशंका है कि इस परिसर का अधिभोग करने वाला व्यक्ति प्रतिरोध कर सकता है, इसलिए मैं आपसे अनुरोध करता हूँ कि कृपया उपरोक्त कर्तव्यों का पालन करने वाले भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड के कार्मिकों को पुलिस सहायता उपलब्ध करायें।

2. _____ उप-निरीक्षक, _____ हैड कांस्टेबल और _____, सभी सशस्त्र, को कृपया अनुदेश दिया जाये कि वे तारीख _____ को

_____ बजे श्री _____ (नाम और पदनाम) को आवश्यक कार्रवाई के लिए
 _____ (स्थान) में रिपोर्ट करें ।

3. कृपया इस सूचना को अति गोपनीय समझें ।

(नाम और पदनाम)
 प्रत्यायोजित प्राधिकारी का
 _____ (स्थान) पर
 तारीख _____

यू.के. सिन्हा अध्यक्ष
 [विज्ञापन III/4/असाधारण/69 जैड बी/13]

SECURITIES AND EXCHANGE BOARD OF INDIA

NOTIFICATION

Mumbai, the 10th January 2014

Securities And Exchange Board of India (Procedure for Search and Seizure) Regulations, 2014

No. LAD-NRO/GN/2013-14/40/52.—In exercise of the powers conferred by sub-section (9) of section 11C and section 30 of the Securities and Exchange Board of India Act, 1992 (15 of 1992), the Securities and Exchange Board of India hereby makes the following regulations, namely:—

CHAPTER I PRELIMINARY

Short title and commencement.

1. (1) These regulations may be called the Securities and Exchange Board of India (Procedure for Search and Seizure) Regulations, 2014.

(2) These regulations shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

Definitions.

2. (1) In these regulations, unless the context otherwise requires, the terms defined herein shall bear the meanings assigned to them below, and their cognate expressions shall be construed accordingly,—

- (a) “Act” means the Securities and Exchange Board of India Act, 1992 (15 of 1992);
- (b) “authorised officer” means the investigating authority or any other officer of the Board authorised by the Chairman under sub-section (8) of section 11C of the Act;
- (c) “building” includes any structure or any other thing constructed, erected, placed or made on, in or under any land and the land appurtenant there to .
- (d) “day time” means the hours between 7.00 a.m. and 6.00 p.m. at the place where the search and seizure is undertaken.
- (e) “document” means any record or information, preserved in any,-
 - (i) handmade form such as writing, drawing, painting, with any implement on any surface, directly or indirectly;
 - (ii) photographic form such as microfilm, microfiche, prints, slides, negatives, videotapes, motion pictures, photocopies or digital storage;
 - (iii) mechanical form such as writing, pressing, printing or typing;
 - (iv) computerized, electrical, electronic, or magnetic form such as tape recordings, cassettes,

compact discs or any information on an electronic or magnetic storage device, such as hard disks, portable memory cards, sticks or diskettes, or smart cards, backup tapes, personal digital devices, CD or DVD discs, optical discs, printer buffers, ZIP drives, pen drives, thumb drives or electronic notebooks, as well as printouts or readouts from any magnetic storage device, including information preserved in files that have been “deleted” from electronic, magnetic, optical storage devices or facilities, and includes anything in which such information, is found or recoverable;

- (f) “enterprise” shall have the same meaning as assigned to it in clause (iii) of section 92F of the Income-tax Act, 1961(43 of 1961);
- (g) “personal information” means any information that relates to a natural person, whose identity is apparent or can reasonably be ascertained from the information;
- (h) “Schedule” means the Schedule appended to these regulations;
- (i) “securities laws” means the Act, the Securities Contracts (Regulation) Act, 1956 (42 of 1956), the Depositories Act, 1996(22 of 1996), provisions of the Companies Act, 1956 in force and the Companies Act, 2013 that are administered by the Securities and Exchange Board of India, and the rules and regulations made thereunder.

(2) Unless the context otherwise requires, the words and expressions used herein and not defined in these regulations but defined in the Act or Companies Act, 1956 (1 of 1956) in force and the Companies Act, 2013 or the Securities Contracts (Regulation) Act, 1956 (42 of 1956) or the Depositories Act, 1996 (22 of 1996) or the Information Technology Act, 2000 (21 of 2000) or any rules or regulations made thereunder shall have the same meanings respectively assigned to them in those Acts, rules or regulations made thereunder or any statutory modification or re-enactment thereto, as the case may be.

CHAPTER II

WARRANT OF AUTHORITY

Request for warrant of authority.

3. An Investigating Authority, having reason to believe that any or all of the grounds specified under sub-section (8) of section 11C of the Act exist, may make a request in writing in physical or electronic mode as per Form A of the Schedule to the Chairman for issuance of warrant of authority, specifying therein the grounds reasons for multiple execution, if required and the details of the person or enterprise and its building, place, vessel, vehicle or aircraft whose search is required to be authorised.,

Warrant of authority.

4. (1) On receipt of the request under regulation 3, the Chairman may, after being satisfied that it is necessary to do so, authorise the Investigating Authority or any other officer of the Board as the authorised officer by issuing a warrant of authority as per Form-B of the Schedule.

(2) The Chairman may authorise multiple execution of the warrant of authority during the period in which it is in force.

Requirements for warrant of authority.

5. (1) A warrant of authority shall be signed and sealed by the Chairman.

(2) Every warrant of authority issued by the Chairman shall remain in force until it is cancelled by the Chairman or until it is executed, or till the expiry of the time limit specified for execution in the warrant of authority, whichever is earlier

(3) A warrant of authority issued to more than one officer of the Board, may be executed by all or any one or more of them.

(4) A warrant of authority issued to any officer of the Board shall expire on the date of the order of the transfer of such officer.

Return of warrant of authority.

6. A warrant of authority issued under these regulations shall be returned to the Chairman,-

- (a) after being executed fully along with the seizure memo, or
- (b) if not executed, whether partially or not, within the time authorised, if any, for its execution, on the expiry of such time.

and the authorised officer shall make an endorsement on the warrant of authority stating as to the powers which have been exercised by him under such authority.

CHAPTER III

PROCEDURE RELATING TO SEARCH AND SEIZURE

Witness.

7. Before making a search under this Chapter, the authorised officer shall call upon two or more independent and respectable inhabitants of the locality in which the place to be searched is situate or of any other locality if no such inhabitant of the said locality is available or is willing to be a witness to the search, to attend and witness the search and may issue an order in writing to them or any of them so to do:

Provided that the authorised officer on reasonable steps taken by him to find witness, finds that no witness is available or willing to stand as witness and on recording of the same, shall execute the warrant of authority on the execution being video graphed, and the search and seizure shall not be invalid on the mere ground that no one has stood as witness for search;

Provided further that no person witnessing the search shall be compelled to be a witness in any quasi-judicial proceedings under the securities laws except as and when summoned by the Board or the authority before whom such proceedings are pending.

Search of places and buildings.

8. (1) If ingress into any, place or building cannot be so obtained or no one is present in the place or building, it shall be lawful for the authorised officer executing the warrant of authority, to enter such building or place and search therein and in order to effect an entrance into such building or place, to break open any outer or inner door or window of any building or place, whether that of the person to be searched or of any other person, if after notification of his authority and purpose and demand of admittance duly made, he cannot otherwise obtain admittance.

Provided that if any such building or place is an apartment in actual occupancy of a woman, who according to custom does not appear in public, the authorised officer shall, before entering such apartment, give notice to such woman that she is at liberty to withdraw and shall afford her every reasonable facility for withdrawing and may then break open any outer or inner door or window of the apartment and enter it.

(2) The authorised officer may require any person who is the owner, or has the immediate possession, or control, of any box, locker, safe, almirah or any other receptacle situate in such building, place to open the same and allow access to inspect or examine its contents, and, where the keys thereof are not available or where such person fails to comply with any such requirement, may cause any action to be taken including the breaking open of such box, locker, safe, almirah or other receptacle which the Authorised Officer may deem necessary for carrying out all or any of the purposes specified under the warrant of authority.

(3) The authorised officer may require any person who is the owner, or has the immediate possession, or control of such building or place, pending the commencement of the search, not to remove from such building or place, any article or other thing.

(4) The authorised officer may requisition the services of any police officer or of any officer of the Central Government or State Government or all of them, to assist him for all or any of the purposes specified in Warrant of Authority.

(5) The authorised officer may search, with such assistance, as may be required, any building or place, authorised to be searched, where such information or documents are expected or believed to be kept.

Search of vessel, vehicle or aircraft.

9. (1) The authorised officer on production of the warrant of authority to any person in charge of vessel, vehicle or aircraft, authorised to be searched, shall have the free ingress to vessel, vehicle or aircraft for the purpose of execution of warrant of authority.

(2) If ingress into any vessel, vehicle or aircraft authorised to be searched cannot be obtained because such vessel, vehicle or aircraft is moving or for any other reason, it shall be lawful for the authorised officer executing the warrant of authority, to require the person for the time being in control of the vehicle, vessel or aircraft to stop any such vessel or vehicle or, in the case of an aircraft, compel it to stop or land, and when stopped to refrain from moving it, or if the vehicle, vessel or aircraft is already stationary, to refrain from moving it, and search any part of the vessel, vehicle or aircraft.

(3) The authorised officer shall have authority, in order to effect an entrance into such vessel, vehicle or aircraft, to break open any outer or inner door or window of any such vessel, vehicle or aircraft, if after notification of his authority and purpose and demand of admittance duly made, he cannot otherwise obtain admittance:

Provided that if any such vessel, vehicle or aircraft is occupied by a woman, who according to custom does not appear in public, the authorised officer shall, before entering such vessel, vehicle or aircraft, give notice to such woman that she is at liberty to withdraw and shall afford her every reasonable facility for withdrawing.

(4) The authorised officer may require any person who is the owner, or has the immediate possession, or control, of any box, locker, safe, or any other receptacle situate in such vessel, vehicle or aircraft, to open the same and allow access to inspect or examine its contents, and where the keys thereof are not available or where such person fails to comply with any such requirement, may cause any action to be taken including the breaking open of such box, locker, safe or other receptacle which the authorised officer may deem necessary for carrying out all or any of the purposes specified in the warrant of authority.

(5) Where the search relates to a vehicle and the place where the authorised officer finds the vehicle is in the opinion of the authorised officer unsuitable for the search, it shall be lawful for the authorised officer to require the person for the time being in control of the vehicle forthwith to take the vehicle or cause it to be taken to a place which the authorised officer considers suitable for the search and which he specifies and require the person for the time being in control of such vehicle, to be in or on or to accompany the vehicle.

(6) The authorised officer may require any person for the time being in control of the vehicle, vessel or aircraft, pending the commencement of the search, not to remove from the vehicle, vessel or aircraft, any article or other thing.

(7) The authorised officer may requisition the services of any police officer or of any officer of the Central Government, or State Government or all of them, to assist him for all or any of the purposes specified in Warrant of Authority.

(8) The authorised officer may search, with such assistance, the vessel, vehicle or aircraft authorized to be searched, where such information or documents are expected or believed to be kept.

Search of persons.

10. (1) Any person who has got out of or is about to get into or is in the building, place, vessel, vehicle or aircraft authorised to be searched under the warrant of authority, if the authorised officer has reason to suspect that such person has secreted about his person any such books of account or other documents, may be searched; and if such person is a female, the search shall be made by another female officer so authorised with strict regard to decency.

(2) The authorised officer may requisition the services of any police officer or of any officer of the Central Government or State Government or both to assist him for all or any of the purposes specified in warrant of authority.

Search of computer.

11. (1) The authorised officer having authority to search any place or person, may,-

- (a) use any reasonable measures to access a computer system or other data storage device, that the person being searched is carrying or that is in the person's physical possession or immediate control;
- (b) operate any computer or other data storage device at the place which is being searched or cause any such computer or other data storage device to be operated by a person accompanying the authorised officer, and
- (c) require any person at that place who appears to be an officer or person in a position to facilitate access, to provide access to the information held in any such computer or other data storage device which can be accessed by the use of that computer or data storage device,-
- (i) to give to the authorised officer any password necessary to operate it, or
- (ii) otherwise to enable the authorised officer to examine the information accessible by the computer in a form in which the information is visible and legible.

Explanation - For the purposes of this regulation-

1. 'computer' includes devices mentioned under sub clause (iv) of clause (e) of sub regulation(1) of regulation (2) of these regulations.

2. 'computer or other data storage device' includes any other computer or data storage device, whether at the place which is being searched or at any other place which is lawfully accessible by means of that computer.

Power of inspection.

12. The authorised officer while executing the warrant of authority, if so authorised, shall have the power of inspection of the documents found in any place, building, vessel, vehicle and aircraft.

Power of seizure.

13. The authorised officer while executing the warrant of authority, if authorised, shall have the power to seize any such books of account or other documents, found as a result of such search, or, get the signature of such persons under clauses (i) and (j) of sub regulation (2) of regulation 14 of these regulations over such documents as applicable:

Provided that the authorised officer may, where it is not practicable to seize any books of account or documents, serve an order as specified in Form- C or Form-D of the Schedule, as the case may be, on the owner or the person

who is in immediate possession or control thereof that he shall not remove, part with or otherwise deal with it except with the previous permission of the authorised officer and such persons shall thereupon take such steps as may be necessary for ensuring compliance with the order.

Seizure memo.

14. (1) An authorised officer executing the warrant of authority shall, in the presence of the person from whom or whose premises, vessel, vehicle or aircraft the documents were seized, if such person is available, prepare a seizure memo in Form E of the Schedule duly signed by two witnesses, containing a list of all documents seized or copied in the course of such search and of the places in which they were respectively found and verify the inventory of any such documents seized:

Provided that in the case of seizure or copying of electronic storage media or the seizure or copying of electronically stored information, the authorised officer shall enter in Form F of the Schedule the description of the physical storage media that were seized or copied.

(2) The seizure memo shall contain the following details, as may be applicable:

- (a) the time of entry into and exit from place, building, vessel, vehicle or aircraft;
- (b) the identity of the persons searched;
- (c) the address of place and building and details of vessel, vehicle or aircraft searched;
- (d) the details of officers present, if any, at the time of seizure;
- (e) the details of other persons present, if any, at the time of seizure;
- (f) the signature of the authorised officer;
- (g) the signature of the witnesses with thumb impression and date;
- (h) the description of identification mark, if any, placed by any person from whose possession or control the documents are seized;
- (i) the signature of the owner or the person who is in immediate possession or control of premises, building, vehicle, vessel or aircraft, if available therein;
- (j) the signature of the persons from whom the seizure is effected.

Power to place identification mark.

15. The authorised officer while executing the warrant of authority, if authorised, shall have the power to place mark of identification on any books of account or other documents:

Provided that any person from whose possession or control the document is seized shall be permitted to put his own identification mark on the documents seized:

Provided further that the description of such identification mark shall be recorded in the seizure memo.

Power to make copy.

16. The authorised officer while executing the warrant of authority shall have the power to make or cause to be made extracts or copy of documents or any books of account.

Power to record statement.

17. (1) The authorised officer while executing the warrant of authority shall have the power to record on oath the statement of any person who is found to be in possession or in control of the information or documents referred to in sub clauses (i), (iii) or (iv) of sub-section (8) of Section 11C of the Act:

Provided that on the refusal to take oath by such persons, the statement may be recorded, on recording such refusal in the statement duly signed by the authorised officer.

Provided further that no police officer requisitioned shall be permitted at the time of recording of statement.

(2) The authorised officer shall record the statement in the presence of two witnesses whose signatures shall be appended to the statement so recorded:

Provided that the authorised officer on reasonable steps taken by him to find witness, finds that no witness is available or willing to stand as witness and on noting the same, shall record the statement, on the same being videographed, and the statement shall not be invalid on the mere ground that no one has stood as witness for the recording of the statement.

General obligations on execution of warrant of authority.

18. (1) The authorised officer before executing the warrant of authority, shall,-

- (a) identify himself or herself either by name or by official identification documents;
- (b) show the warrant of authority to the person who occupies the premises or to any person in charge of vessel, vehicle or aircraft authorised to be searched and on request provide copy of such warrant of authority:

Provided if such person is not present a copy of the warrant shall be posted in a prominent place on the premises, vessel, vehicle or aircraft authorised to be searched;

- (c) conduct search and seizure if any, in the presence of the witnesses and prepare panchnama as prescribed in Form- G of the Schedule if witnesses are available.
- (d) deliver a copy of the seizure memo prepared under regulation 14 to any person from whose possession or control the documents are seized;

(2) The authorised officer executing the warrant of authority, shall not enter at any place of business or profession after daytime.

Provided that the warrant of authority may continue to be executed after day time, if the entry of the authorised officer is at day time.

Provided further that in respect of any other dwelling place, wherein the books of account, other documents have been stated or believed to be kept, the search shall be initiated, resumed and completed only in daytime, unless authorised to the contrary:

Provided further that in respect of vessel, vehicle or aircraft or any building or place other than the dwelling place, wherein the books of account, other documents have been stated or believed to be kept, the search can be initiated and continued at any time.

(3) The authorised officer shall execute the warrant of authority within the time limit, prescribed, if any, in the warrant of authority:

Provided that the authorised officer may seek extension of time on reasons to be recorded in writing from the Chairman.

CHAPTER IV

RIGHTS AND OBLIGATIONS OF PERSONS BEING SEARCHED AND OTHER PERSONS IN CHARGE

Rights of persons under search and persons in charge.

19. The occupant of the building, place, vessel, vehicle or aircraft searched, including the person in charge of such vessel, vehicle or aircraft, shall have the right,-

- a) to see the warrant of authority and authorised officer and to obtain a copy thereof;
- b) to verify the identity of the authorised officer and officials assisting him;
- c) to be present during the search and seizure;
- d) to put his own mark of identification on the documents seized along with his signature, stamp, seal etc.
- e) to have copy of document seized or take extracts therefrom, in the presence of the authorised officer or any other person authorised by him in this behalf, at such place and reasonable time as the authorised officer may appoint in this behalf;
- f) to have a copy of any statement recorded during search and seizure;

Obligations of persons under search and persons in charge.

20. (1) Any person in charge of or in any building, place, authorised to be searched shall, on demand by the authorised officer to execute warrant of authority and on production of the authority, identify any person as may be required by the authorised officer.

(2) Any person in charge of or in any vessel, vehicle or aircraft authorised to be searched shall, on demand by the authorised officer, locate and identify the vessel, vehicle or aircraft.

(3) Any person in charge of or in any building, place, vessel, vehicle or aircraft authorised to be searched shall, on demand by the authorised officer to execute a warrant of authority and on production of such authority, allow him free ingress thereto and afford all reasonable facilities for a search therein.

(4) Any person who has the immediate control of any vessel, vehicle or aircraft authorised to be searched, if moving, shall stop any such vessel or vehicle or stop and cause to be landed any such aircraft on communication of the authority of authorised officer to search and seize.

- (5) Any person in charge of the business or person in charge of electronic records shall be bound to disclose the password and such other information as may be asked for by the authorised officer.
- (6) Any person who is found to be in possession or control of any books of account or other documents, maintained in the form of electronic record, shall provide the authorised officer the necessary facility to inspect such books of account or other documents.
- (7) Any person who is the owner or has the immediate possession or control of any box, locker, safe, almirah or any other receptacle situate in such building, place, vessel, vehicle or aircraft authorised for search, shall identify such receptacles in which assets or books of account and documents are kept and to hand over keys of such receptacles to the authorised officer.
- (8) No person shall prevent any authorised officer or any officers assisting him from execution of warrant of authority.

CHAPTER V

SAFE CUSTODY AND RETURN OF DOCUMENTS

Safe custody of seized documents.

21. (1) The documents seized shall be transmitted in safe manner to the place of custody.
- (2) The authorised officer who is not the Investigating Authority, shall hand over the documents seized along with the seizure memo to the Investigating Authority.
- (3) The Investigating Authority shall keep in his custody the books, registers, other documents and records seized under these regulations for such period not later than the conclusion of the investigation as he considers necessary.

Provided that such books, registers, other documents and records shall not be retained by the Investigating Authority for a period exceeding one hundred and eighty days from the date of seizure, except with the approval of the Chairman.

- (4) The authorised officer or the Investigating Authority, as the case may be, shall ensure that records in physical form are not altered, damaged, mutilated, and the records in electronic form is not altered or erased.
- (5) The authorised officer or the Investigating Authority, as the case may be, shall ensure that the physical documents and electronic storage devices on which electronic records are stored, are maintained and stored in suitable physical and environmental conditions.

Return of documents.

- 22.(1) The Investigating Authority shall return the documents kept under regulation 21 to the company or the other body corporate, or, as the case may be, to the managing director or the manager or any other person from whose custody or power they were seized:

Provided that the Investigating Authority may, before returning such books, registers, other documents and record as aforesaid, place identification mark on them or any part thereof.

- (2) Any personal information severable from any document seized and kept in accordance with these regulations shall be returned by the Investigating Authority to the person to whom such information relates on a written request being made in this behalf by him.

Protection of personal information.

23. The personal information contained in any document seized and kept in accordance with these regulations shall not be divulged to any third person, except for the compliance of any law for the time being in force, without the consent of the person to whom the information relates.

Retention of forensic copy.

24. Notwithstanding anything contained in regulation 22 of these regulations, -

- (a) the forensic copy of the data or mirror image of the storage device and any copy thereof may be retained, on being satisfied that such data or image has evidentiary value.
- (b) any copy made or generated from any other documents seized in accordance with these regulations may be retained.

CHAPTER VI

MISCELLANEOUS

Liability for non-compliance of obligations.

25. Without prejudice to any action under any law for the time being in force,

(a) any intermediary who fails to comply with any of the obligations while execution of warrant of authority, shall be liable for any one or more of the following actions:

- i. adjudication under section 15HB of the Act;
- ii. proceedings under Chapter V of the Securities and Exchange Board of India (Intermediaries) Regulations, 2008;
- iii. prosecution under section 24 of the Act;

(b) any person other than an intermediary who fails to comply with any of the obligations while execution of warrant of authority, shall be liable for any one or more of the following actions:

- i. adjudication under section 15HB of the Act;
- ii. action under section 11B and sub-section (4) of section 11 of the Act;
- iii. prosecution under section 24 of the Act.

Power to remove difficulties.

26. In order to remove any difficulties in the interpretation or application of the provisions of these regulations, the Board may issue guidance or circulars.

SCHEDULE

FORM-A

[See regulation 3]

Request seeking the issuance of warrant of authority.

In the matter of ...

Whereas a notice under section 11C(3) of the Securities and Exchange Board of India Act, 1992 has been issued, _____[name of the person] on _[date] by the undersigned, to produce, or cause to be produced, books of account or other documents specified in the relevant summons or notice and he/she/they has/have omitted or failed to produce, or cause to be produced, such books of account or other documents which will be useful for, or relevant to proceedings under Securities Laws required by such notice, he/she/they would not produce, or cause to be produced, or would destroy, mutilate, alter, falsify or secrete such books of account or information or other documents as required by such summons or notice or relevant to, the investigation; or

Whereas a notice under section 11C(3) of the Securities and Exchange Board of India Act, 1992 might be issued to _____[name of the person] by the undersigned, to produce, or cause to be produced, books of accounts or other documents which will be useful for, or relevant to, proceedings under securities laws and he/she/they would not provide the information, or, produce documents, which shall be useful for, or relevant to, the investigation;

And whereas I have reason to believe that such books of accounts, other documents, have been kept and are to be found _____

(specify particulars of the building/place/vessel/vehicle/aircraft or such details which would locate such building/place or such details which would identify such vessel/vehicle/aircraft), a warrant of authority may be issued to

1. _____(name and designation of Authorised Officer)
2. _____(name and designation of Authorised officer)
3. _____(name and designation of Authorised officer)

(a) to enter and search, with such assistance, as may be required, the said building or place or vessel or vehicle or aircraft;

(b) to break open the lock of any door, box, locker, safe, almirah or other receptacle for exercising powers conferred under the Act and these Regulations, where the keys thereof are not available;

(c) to search any person who has got out of, or is about to get into, or is in the building or place or vessel or vehicle or aircraft, if Authorised officer/s have reason to suspect that such person has secreted about his person any such books of accounts or other documents;

(d) require any person who is found to be in possession or control of any books of accounts or other documents, maintained in the form of electronic record, to provide the Authorised officer the necessary facility to inspect such books of accounts or other documents;

Explanation.-For the purposes of this clause, the expression "electronic record" shall have the meaning assigned to in clause (t) of sub-section(1) of section (2) of the Information Technology Act, 2000;

(e) to seize any such books of accounts or other documents found as a result of such search and relevant or useful for the investigation and take possession thereof and to make a list hereof together with particulars;

(f) to place mark of identification on books of accounts or other documents or cause to be made extracts

or copies therefrom;

(g) record on oath the statement of any person who is found to be in possession or in control of the information or documents referred to in sub-clause (i), (iii) and (iv) of section 11C(8) of the Act.

(h) to conduct the search during daytime, or at night(if there are grounds for suspecting that the object of the warrant would be defeated);

(i) to conduct multiple execution ;

(j) to exercise the powers conferred in this warrant of authority as per the Securities and Exchange Board of India(Procedure for Search and Seizure) Regulations, 2014.

Date

Signature

The Investigating Authority.
Securities and Exchange Board of India

FORM-B

[See regulation 4]

Warrant of authority under sub-section (8) of section 11C of the SEBI Act, 1992 and regulation 4 of Securities and Exchange Board of India (Procedure for Search and Seizure) Regulations, 2014

In the matter of ...

Whereas information has been laid before me and on the consideration thereof I have reason to believe that,

—
a notice under section 11C(3) of the Securities and Exchange Board of India Act, 1992 has been issued to, _____[name of the person] on _[date] by the Investigating Authority, to produce, or cause to be produced, books of accounts or other documents specified in the relevant summons or notice and he/she/they has/have omitted or failed to produce, or cause to be produced, such books of accounts or other documents which will be useful for, or relevant to proceedings under Securities Laws required by such notice, he/she/they would not produce, or cause to be produced, or would destroy, mutilate, alter, falsify or secrete such books of accounts or information or other documents as required by such summons or notice or relevant to, the investigation; or

a notice under section 11C(3) of the Securities and Exchange Board of India Act, 1992 might be issued to _____[name of the person] by the Investigating Authority, to produce, or cause to be produced, books of accounts or other documents which will be useful for, or relevant to, proceedings under securities laws and he/she/they would not provide the information, or, produce documents, which shall be useful for, or relevant to, the investigation;

And whereas I have reason to suspect that such books of accounts, other documents, have been kept and are to be found _____

(specify particulars of the building/place/vessel/vehicle/aircraft or such details which would locate such building/place or such details which would identify such vessel/vehicle/aircraft);

And whereas being satisfied that it is necessary to issue a warrant of authority, this warrant of authority is issued to,-

4. -----(name and designation of Authorised Officer)

5. -----(name and designation of Authorised officer)

6. -----(name and designation of Authorised officer)

(a) to enter and search, with such assistance, as may be required, the said building or place or vessel or vehicle or aircraft;

(b) to break open the lock of any door, box, locker, safe, almirah or other receptacle for exercising powers conferred under the Act and these Regulations, where the keys thereof are not available;

(c) to search any person who has got out of, or is about to get into, or is in the building or place or vessel or vehicle or aircraft, having reason to suspect that such person has secreted about his person any such books of accounts or other documents;

(d) require any person who is found to be in possession or control of any books of accounts or other documents, maintained in the form of electronic record, to provide you the necessary facility to inspect such books of accounts or other documents;

Explanation.-For the purposes of this clause, the expression "electronic record" shall have the meaning assigned to in clause (t) of sub-section(1) of section (2) of the Information Technology Act, 2000;

- (e) to seize any such books of accounts or other documents found as a result of such search and relevant or useful for the investigation and take possession thereof and to make a list hereof together with particulars;
- (f) to place mark of identification on books of accounts or other documents or cause to be made extracts or copies therefrom;
- (g) record on oath the statement of any person who is found to be in possession or in control of the information or documents referred to in sub-clause (i), (iii) and (iv) of section 11C(8) of the Act;
- (h) to conduct the search during the daytime, or at night (if there are grounds for suspecting that the object of the warrant would be defeated);
- (i) to conduct multiple execution;
- (j) to exercise the powers conferred in this warrant of authority as per the Securities and Exchange Board of India (Procedure for Search and Seizure) Regulations, 2014.

You may requisition the services of any police officer or any officer of the Central Government or State Government, or of both, to assist you for all or any of the purposes specified in the warrant of authority. The warrant shall be executed on or before.....

The occupant of the building, place, vessel, vehicle or aircraft searched, including the person in charge of such vessel, vehicle or aircraft, shall have the right,-

- a) to see the sealed warrant of authority duly signed by the Chairman and to obtain a copy of such warrant of authority;
- b) to verify the identity of the officials assisting the authorised officer;
- c) to attend during the search and seizure operation;
- d) to have a copy of the seizure memo prepared under regulation 12 be delivered to any person from whose possession or control the documents are seized;
- e) to have copy of seized document, or take extracts therefrom, in the presence of the authorised officer or any other person empowered by him in this behalf, at such place and reasonable time as the authorised officer may appoint in this behalf;
- f) to have a copy of any statement recorded during search and seizure;
- g) to put his own mark of identification on the documents seized on recording the description of the such mark of identification.

Date

The Chairman
Securities and Exchange Board of India
Seal

Form-C

(See regulation 13)

ORDER UNDER PROVISIO TO REGULATION 13 OF SECURITIES AND EXCHANGE BOARD OF INDIA (PROCEDURE FOR SEARCH AND SEIZURE) REGULATIONS, 2014

By virtue of powers vested in me under the warrant of authority dated _____ issued by the Chairman, Securities and Exchange Board of India, in exercise of his powers under section 11C(8) of the Securities and Exchange Board of India Act, 1992 read with regulation 4 of the Securities and Exchange Board of India (Procedure for Search and Seizure) Regulations, 2014, I, _____ [Name of the authorised officer] hereby order you not to remove, part with or otherwise deal with the articles mentioned below without my previous permission.

Details of Articles

- 1.
- 2.
- 3.
- 4.
- 5.

Seal

Signature of the authorised officer
Name
Full Designation
Telephone Number
Date: Time:
Contact address:

To

Copy to: 1.
2.

Form-D
(See regulation 13)

ORDER UNDER PROVISIO TO REGULATION 13 OF SECURITIES AND EXCHANGE BOARD OF INDIA (PROCEDURE FOR SEARCH AND SEIZURE) REGULATIONS, 2014

To

Shri/M/s.

Whereas in terms of warrant of authority issued by Chairman, Securities and Exchange Board of India, in exercise of his powers under section 11C(8) of the Securities and Exchange Board of India Act, 1992 read with regulation 4 of the Securities and Exchange Board of India(Procedure for Search and Seizure) Regulations, 2014, I have been authorised to seize books of accounts, other documents or other relevant records/articles found as a result of search at premises _____ owned/occupied by _____ and whereas I am of the opinion that it is not possible/practicable to take physical of the books of accounts other documents or other relevant records/articles mentioned in the observe due to _____, I in exercise of the authority conferred on me by regulation 13 of the Securities and Exchange Board of India(Procedure for Search and Seizure) Regulations, 2014, hereby order you not to remove, part with or otherwise deal with the books of accounts other documents or other relevant records/articles mentioned in the observe without my previous permission in writing.

The service of this order tantamount to deemed seizure of the books of accounts other documents or other relevant records/articles under proviso to regulation 13 of the Securities and Exchange Board of India(Procedure for Search and Seizure) Regulations, 2014.

Signature of the authorised officer

Form-E
(See regulation 14)

SEIZURE MEMO- LIST / INVENTORY OF BOOKS ETC., FOUND / SEIZED

Page _____ Date of search _____

1. Name and designation of authorised officers
 - (a) Leader of the search party
 - (b) Other Authorised Officers
2. (a) Warrant of Authority in the case:
 - (i) Name:
 - (ii) Address:
 - (b) Detailsofpremisessearched:
 - (i) Description and address:
 - (ii) Claimed to be belonging to
3. Details of the persons searched
 - (i) Identity of the persons
 - (ii) Address of the persons
4. Date and Time of search operation:
 - (a) Search Operations commenced on at.....hrs.
 - (b) Search Operations concluded on at.....hrs.

- at

[illegible]

placed in various pages listed out

The description of the identification mark placed by the persons

as per reg 12 (2) (h) of these Regulations

Signature of Authorised officer (with name and designation)

2.

2.

(With Thump Impression)

Signature of Persons under reg. 12 (2) (i) and/or (j) of these Regulations

(See regulation 14)

Part-A**SEIZURE MEMO-COMPUTER/PHYSICAL STORAGE DEVICE**

1. Name of party :
2. Place :
3. Computer System :a) (PC/Mini/Main Frame/Other)
b) (Standalone/LAN/Multiuser/Other)
4. Configuration of the Machine
 - a) No. of Hard Disk :
 - b) Capacity of Hard Disk :
(20 MB/40MB/Other)
5. Number of Computers and Terminals for each Computer Found:
6. Back up device used by the party : (Floppies/Tape/Other)
7. Name of the supplier of the machine:
8. Type of Machine: (PC/XT/AT386/AT586/Other)
9. Operating System: (WINDOWS/DOS/LINK/XENIX/Other)
10. Version of the Operating System:
11. Software Packages being used: (Wordstar/Lotus/D-Base/Fox Base/Self Developed Softwares/Other)
12. Supplier of Software Packages used by the Party:
13. Passwords
 - 1) Log-in Password :
 - 2) Master Password :
 - 3) Other Password :
14. Nature of Data File : (Wordstar/Lotus/D-Base/Fox Base/Other)
15. Nature of transactions in Data File : (Accounts/Letters/Operations/Research/Other):
16. Number of Floppies/Cartridges/Tapes Found:
17. Name of the Persons Operating the Computer:

Part-B**REPORT ON COMPUTER DATA BACKED UP**

1. Name of Party : _____

2. Place : _____
3. Description of Hard

Id. No. of computer	Total Capacity	Capacity of each Drive	Memory used in each Drive	Memory Packed up from each Drive	Remarks

- | | | | |
|------------------|--------------|----------|---------|
| 4. Starting Time | Closing Time | Duration | Remarks |
|------------------|--------------|----------|---------|

5. Brief report on backing process of each Hard Disk :-

(Directory Listing of the whole Hard Disk, Command used for backing up, Version of the operating system, problem faced if any during backing up etc. should be mentioned in this report.)

()	()
Computer Personnel	Authorised Officer
Signature of Panchas (with name and designation)	Signature of Authorised officer
	1.
2.	2.
(With Thump Impression)	
Signature of Persons under reg. 12 (2) (i) and/or (j) of these Regulations	

FORM-G
PANCHNAMA
(See regulation 18)
[To be prepared in duplicate]

Party No.

[A] Warrant in the case of :

[B] Warrant to search : [Details & Ownership of place of search]

Telephone Numbers.

[C] Search party consisting of :

<u>Authorised officers</u>	<u>Name</u>	<u>Full Designation</u>
1.		
2.		
3.		
4.		
5.		

Other officials who assisted the authorised officers

6.
7.
8.
9.

[D] Name and complete address of Panchas:

1. 2.

On being called by Shri. _____ on _____ at _____ a.m. /p.m. we, the above named panchas, presented ourselves at the above place of search. The authorised officer, Shri _____ showed the warrant of authority dated _____ issued under issued in case of [A] above to search the place mentioned at [B] above and duly signed by the Chairman, Securities and Exchange Board of India, Mumbai to Shri/Smt. _____ who was present in the said place the time and who after reading the said authorisation/after the authorisation was explained in local language viz., _____ by Shri/Smt. _____ signed it in our presence and along with us, in token of having perused the same.

2. As today's search was in continuance of the proceedings on _____ we along with the aforesaid authorised officers before the commencement of proceedings today inspected the seals which had placed on that date and found them to be intact/tampered with as narrated in the enclosures.

3. The Above mentioned search party offered themselves for personal search before commencing the search which was taken / declined.

4. A search of the above mentioned place was carried out by the said party in our presence in an orderly manner without hurting the sentiments of any of the occupants of premises.

5. In the course of the search,

(a) The following were found and seized:

Books of accounts/register/other documents/records, etc., as per annexure 'A' (_____ Sheets)

(b) The following were found but not seized :

- (i) Books of accounts and documents as per annexure Marks of identification were placed on these and the specimen of the marks and the pages where these have been are shown in the inventory prepared viz. Annexure 1.

6. In the course of the search, the authorised officer Shri _____ recorded the statement(s) of Shri _____ on solemn affirmation/oath, in our presence No. coercion, threat, inducement, promise or other undue influence was brought to bear on the above deponent. The statement was read over/explained in the local language viz., _____ to the deponent, who signed the statement in token of having understood its contents and of agreeing that it had been correctly recorded.

7. The following other important persons were present in the place of search and either took an active part in or helped the search proceedings.

Name	Relationship
------	--------------

8. The Search commenced on _____ at _____ a.m./p.m the proceedings were closed on _____ at a.m/p.m. as finally concluded/as temporarily concluded for the day to be commenced subsequently for which purpose seal was placed on the entire place/on _____ in our presence.

9. An order under regulation 14 of the Securities and Exchange Board of India(Procedure for Search and Seizure) Regulations, 2014 in respect of the sealed premises/_____ as served on Shri/Smt. _____ by the said authorised officers.

10. Before leaving the above mentioned place of the search the entire search party again offered themselves for personal search which was taken/declined. The above panchanama has been read by us/ explained to us in local language _____ by Shri/Smt. _____ and is certified that it has been correctly recorded.

Signature of the Panchas with dates.

1. _____

2. _____

Signature of the
authorised officer

Name :

Designation:

Date :

Seal

Signature of the person receiving the copy
of the panchnama

Name

Position in/relationship to 'A'

Date

PROFORMA FOR REQUISITIONING POLICE ASSISTANCE FOR SEARCH ACTION

[See Regulations 8(4), 9(7) and 10(2)]

Date:

The Commissioner of Police/Superintendent of Police

.....

.....

Sir,

1. The Securities and Exchange Board of India is contemplating taking certain action under section 11C (8) of the SEBI Act, 1992 and applicable provisions of the Code of Criminal Procedure, 1973 r/w section 11C(11) of the SEBI Act, 1992. As the place proposed to be covered is in a sensitive locality and it is apprehended that the person occupying the premises may offer resistance, I am to request you to kindly make available police assistance to SEBI personnel carrying out the above duties.
2. Sub Inspectors, ...Head Constables and all armed, may kindly be instructed to report to..... Shri(name and designation) on..... at (place). at (time) for necessary action.
3. Kindly treat this information as very confidential.

(Name and Designation)

of Delegated Authority.

At... ..

(place)

Date

U. K. SINHA, Chairman

[ADVT. III/4/Exty./69 ZB/13]